रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-18032020-218778 CG-DL-E-18032020-218778

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1021]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 18, 2020/फाल्गुन 28, 1941

No. 1021]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 18, 2020/PHALGUNA 28, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2020

प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास नियम, 2020

का.आ. 1129(अ).—केंद्रीय सरकार, प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 (2020 का 3) की धारा 4 की उपधारा (1) और उपधारा (5) तथा धारा 5 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास नियम, 2020 है।
 - (2) ये राजपत्र में उसकी अधिसूचना की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. परिभाषाएं.- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 - (क) "अधिनियम" से प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधियियम, 2020 (2020 का 3) अभिप्रेत है;
 - (ख) "विवाद" का अर्थ अपीलीय फोरम के समक्ष घोषणाकर्ता या आयकर प्राधिकारी द्वारा फाइल की गई अपील, रिट या फाइल की गई विशेष इजाज़त याचिका या अपील या विशेष इजाज़त याचिका, माध्यस्थम, सुलह, या आरंभ की गई मध्यकता, या उसके लिए दी गई सूचना, या दाखिल किए गए आक्षेप या आयकर अधिनियम की धारा 144ग के अधीन विवाद समाधान पैनल के समक्ष दाखिल किए जाने वाले, या आयकर अधिनियम की धारा 264 के अधीन फाइल किए गए आवेदन है:
 - (ग) "पात्र तलाशी मामले" से ऐसे मामले अभिप्रेत हैं जिसमें कोई निर्धारण आयकर अधिनियम की धारा 132 या धारा 132क के अधीन आरंभ की गई तलाशी के आधार पर आयकर अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (3) या धारा 144 या धारा 153क या धारा 153ग के अधीन किया गया है और विवादित कर की रकम पांच करोड़ रूपए से अधिक नहीं है;

1506 GI/2020 (1)

- (घ) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत हैं;
- (ङ) "घोषणाकर्ता के पक्ष में आने वाले मुद्दे" से ऐसे मुद्दे अभिप्रेत हैं जिनके संबंध में—
- (i) अपीलीय फोरम के समक्ष आयकर प्राधिकारी द्वारा कोई अपील, या रिट, या विशेष अनुमति याचिका फाइल की गई है या अपील या विशेष इजाज़त याचिका फाइल की जानी है या
- (ii) घोषणाकर्ता द्वारा आयुक्त (अपील) के समक्ष कोई अपील फाइल की गई है या फाइल की जानी है या विवाद समाधान पैनल के समक्ष कोई आक्षेप फाइल किया गया है या फाइल की जानी है, जिस पर वह आयकर अपीलीय अधिकरण (जहां उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसे मुद्दों पर कोई निर्णय उलटा नहीं गया है) से उसके पक्ष में पहले से ही कोई निर्णय हुआ है या उच्च न्यायालय (जहां उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसे मुद्दों पर कोई निर्णय उलटा नहीं गया है), या
- (iii) आयकर अपीलीय अभिकरण के समक्ष घोषणाकर्ता द्वारा कोई अपील फाइल की गई है या फाइल की जानी है जहां उच्च न्यायालय (जहां उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसे मुद्दों पर कोई निर्णय उलटा नहीं गया है) से उसके पक्ष में कोई पहले से ही निर्णय हुआ है;
- (च) "धारा" से प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 (2020 का 3) अभिप्रेत है;
- (छ) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम या आय-कर अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो क्रमश: उनके उस अधिनियम में हैं।
- 3. घोषणा और वचनबंध का प्ररूप.- (1) धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन घोषणा अभिहित प्राधिकारी के समक्ष प्ररूप-1 में की जाएगी।
 - (2) धारा 4 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट वचनबंध घोषणा के साथ-साथ प्ररूप-2 में दी जाएगी।
 - (3) उपनियम (1) के अधीन घोषणा और उपनियम (2) के अधीन वचनबंध को, यथास्थिति, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 140 के अनुसरण में, अपनी ओर से आय के विवरणी सत्यापित करने हेतु घोषणाकर्ता या किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित किया जाएगा।
 - (4) घोषणा की प्राप्ति पर अभिहित प्राधिकारी उसकी अभिस्विकृति का इलैक्ट्रानिक रूप से एक रसीद देगा।
- **4. अभिहित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र का प्ररूप.-** अभिहित प्राधिकारी प्ररूप-3 में धारा 5 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट इलैक्ट्रॉनिक रूप में प्रमाणपत्र जारी करेगा।
- 5. संदाय की सूचना.- अभिहित प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र के अनुसरण में किए गए संदायों का ब्योरा प्ररूप-4 में अभिहित प्राधिकारी के समक्ष घोषणाकर्ता द्वारा अपील, रिट याचिका, विशेष इजाज़त याचिका, माध्यस्थम, सुलह, मध्यकता या फाइल किए गए दावा के प्रत्यहरण के सबूत के साथ इलैक्ट्रानिक रूप में दिया जाएगा।
- **6. देने की रीति**.—नियम 3 में निर्दिष्ट प्ररूप-1 और प्ररूप-2 तथा नियम 5 में निर्दिष्ट प्ररूप-4 अंकीय हस्ताक्षर के तहत इलैक्ट्रॉनिक रूप से दिया जाएगा, यदि आय की विवरणी अंकीय हस्ताक्षर के तहत देने के लिए या इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से अन्य मामलों में देने की आवश्यकता है।

स्पष्टीकरण: इस नियम के उद्देश्य के लिए "इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड" का वही अर्थ होगा जो आयकर नियम, 1962 के नियम 12 में निर्दिष्ट किया गया है।

- 7. अभिहित प्राधिकारी द्वारा आदेश .- धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन जारी प्रमाणपत्र के अनुसार घोषणाकर्ता द्वारा संदेय रकम के संदाय के संबंध में धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन अभिहित प्राधिकारी द्वारा प्ररूप-5 में आदेश दिया जाएगा।
- 8. प्रक्रिया, रूपविधान और मानकों का अभिकथन.- मुख्य महानिदेशक आयकर (प्रणाली) या महानिदेशक आयकर (प्रणाली), यथास्थिति, नियम 3 के उपनियम (1) के अधीन प्ररूप-1 में घोषणा करना और सत्यापित करना, नियम 3 के उपनियम (2) के अधीन प्ररूप-2 में वचनबंध देने और सत्यापित करना, नियम 4 के अधीन प्ररूप-3 में प्रमाणपत्र का जारी करने, नियम 5 के अधीन प्ररूप-4 में संदाय की सूचना और प्रत्याहरण का सबूत देने और नियम 7 के अधीन प्ररूप-5 में आदेश को जारी करने के लिए प्रक्रियाओं, रूपविधानों और मानकों का अभिकथन करेगा तथा मुख्य महानिदेशक आयकर (प्रणाली) या महानिदेशक आयकर (प्रणाली) उक्त घोषणा, वचनबंध, प्रमाणपत्र, सूचना और आदेश के संबंध में समुचित सुरक्षा, पुरालेखन और पुन: प्राप्ति की नीतियों को विकसित करने और लागू करने के लिए उक्तरदायी होगा।
- 9. **ऐसे मामलों में विवादित कर को संगणित करने की रीति जहां हानि या शेष अवक्षयण की कमी की गई है.-** (1) जहां किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में कोई विवाद आयकर अधिनियम के अधीन अग्रनीत होने के लिए हानि या शेष अवक्षयण में कटौती से संबंधित है, घोषणाकर्ता को यह विकल्प होगा कि—

- (i) रकम का संदाय हानि या शेष अवक्षयण द्वारा पर अधिभार और उपकर को सम्मिलित करते हुए विवादित कर में कमी करता है और हानि या शेष अवक्षयण में कटौती की ऐसी रकम को छोड़कर हानि या शेष अवक्षयण को अग्रनीत करते हुए कर को शामिल करना: या
- (ii) हानि या शेष अवक्षयण की कटौती की गई रकम को अग्रनीत करना।
- (2) जहां घोषणाकर्ता उपनियम (1) के खंड (ii) के अनुसार विकल्प का प्रयोग करता है, वह ब्याज के साथ-साथ, यदि कोई हो, पश्चातवर्ती वर्षों में हानि या शेष अवक्षयण की कटौती की गई रकम को अग्रनीत करने के परिणामस्वरूप अधिभार और उपकर सहित कर के संदाय का दायी होगा:

परंतु वर्ष के अंतिम दिन आस्ति समूह का अवलिखित मूल्य को, उसके संबंध में जिसमें शेष अवक्षयण की कटौती की गई है, शेष अवक्षयण में कटौती की रकम द्वारा वृद्धि नहीं होगी:

परंतु यह और कि पात्र तलाशी मामलों से भिन्न मामलों में, उपनियम (1) के खंड (ii) में अग्रनीत की गई हानि या शेष अवक्षयण की कटौती की गई रकम की संगणना में आधी रकम जिसमें हानि या शेष अवक्षयण की कमी की गई है कटौती के लिए विचार किया जाएगा, यदि ऐसी कटौती घोषणाकर्ता के पक्ष में आने वाले विषयों से संबंधित है:

परंतु यह और भी कि पात्र तलाशी मामलों में, उपनियम (1) के खंड (ii) में अग्रनीत की गई हानि या शेष अवक्षयण की कटौती की गई रकम की संगणना में, **रकम का एक और एक चौथाई** जिसमें हानि या शेष अवक्षयण की कमी की गई है कटौती के लिए विचार किया जाएगा और जहां **रकम का एक और एक चौथाई** जिसमें हानि या शेष अवक्षयण इसकी कटौती के पूर्व अग्रनीत की गई हानि की रकम से अधिक की कमी की गई है ऐसे आधिक्य को छोड़ दिया जाएगा:

परंतु यह और भी कि पात्र तलाशी मामलों में, उपनियम (1) के खंड (ii) में अग्रनीत की गई हानि या शेष अवक्षयण की कटौती की गई रकम की संगणना में, रकम का **5/8वां** जिसमें हानि या शेष अवक्षयण की कमी की गई है कटौती के लिए विचार किया जाएगा, यदि ऐसी कटौती घोषणाकर्ता के पक्ष में आने वाले विषयों से संबंधित है।

- 10. ऐसे मामलों में विवादित कर को संगणित करने की रीति जहां न्यूनतम अनुकल्पी कर (एमएटी) प्रत्यय की कमी की गई है.—
 (1) जहां अग्रनीत होने के लिए न्यूनतम अनुकल्पी कर (एमएटी) प्रत्यय में कटौती के संबंध में निर्धारण वर्ष के संबंध में कोई विवाद है, घोषणाकर्ता के पास यह विकल्प होगा कि—
- (i) ऐसी रकम को शामिल करें जिसके द्वारा अग्रनीत होने वाली एमएटी प्रत्यय की विवादित कर में कटौती की गई है और कटौती की ऐसी रकम को छोड़ते हुए एमएटी प्रत्यय को अग्रनीत किया गया है, या
- (ii) कटौती की गई एमएटी प्रत्यय को अग्रनीत करना।
- (2) जहां घोषणाकर्ता उपनियम (1) के खंड (ii) के अनुसार विकल्प का प्रयोग करता है, वह ब्याज के साथ-साथ, यदि कोई हो पश्चातवर्ती वर्षों में कमी की गई एमएटी प्रत्यय की रकम को अग्रनीत करने के परिणामस्वरूप अधिभार और उपकर सहित कर के संदाय का दायी होगा:

परंतु यह और कि पात्र तलाशी मामलों से भिन्न मामलों में, उपनियम (1) के खंड (ii) में अग्रनीत की गई एमएटी प्रत्यय की कटौती की गई रकम की संगणना में आधी रकम जिसमें एमएटी प्रत्यय की कमी की गई है कटौती के लिए विचार किया जाएगा, यदि ऐसी कटौती घोषणाकर्ता के पक्ष में आने वाले विषयों से संबंधित है:

परंतु यह और भी कि पात्र तलाशी मामलो में, उपनियम (1) के खंड (ii) में अग्रनीत की गई एमएटी प्रत्यय की कटौती की गई रकम की संगणना में, **एक और एक चौथाई रकम** जिसमें एमएटी प्रत्यय की कमी की गई है कटौती के लिए विचार किया जाएगा और जहां **एक और एक चौथाई रकम** जिसमें एमएटी प्रत्यय इसकी कटौती के पूर्व अग्रनीत की गई एमएटी प्रत्यय की रकम से अधिक की कमी की गई है ऐसे आधिक्य को छोड़ दिया जाएगा:

परंतु यह और भी कि पात्र तलाशी मामलों में, उपनियम (1) के खंड (ii) में अग्रनीत की गई एमएटी प्रत्यय की कटौती की गई रकम की संगणना में, रकम का 5/8 जिसमें एमएटी प्रत्यय की कमी की गई है कटौती के लिए विचार किया जाएगा, यदि ऐसी कटौती घोषणाकर्ता के पक्ष में आने वाले विषयों से संबंधित है।

स्पष्टीकरण: इस नियम के उद्देश्य के लिए एमएटी प्रत्यय का अर्थ, आयकर अधिनियम की धारा 115ञकक और धारा 115ञघ के उपबंधों के अनुसार कर प्रत्यय है।

11. कितपय मामलों में विवादित कर को संगणित करने की रीति- (1) जहां विवाद में घोषणाकर्ता के पक्ष में आने वाले मुद्दे सिम्मिलित हैं, ऐसे मुद्दों के संबंध में विवादित कर ऐसी रकम होगी जो विवाद में सभी मुद्दों पर संदाय अधिभार और उपकर को सिम्मिलित करते हुए कर देता है, वही अनुपात घोषणाकर्ता के पक्ष में आने वाले मुद्दों के संबंध में विवादित आय के रूप में विवाद के सभी मुद्दों के संबंध में विवादित आय के लिए देता है।

प्ररूप-1									
(नियम 3 देखें)									
घोषणा पत्र भरने के लिए प्ररूप									
भाग क – सामान्य जानकारी									
पैन/ मोबाईल गैन मोबाईल									
आधार का नाम संख्या									
ई-मेल पता									
पात्रता से संबंधित जानकारी									
आवेदक प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम , 2020 (डीटीवीएसवी) की हां नहीं									
धारा 2 के निबंधनानुसार आवेदक है और डीटीवीएसवी की धारा 9 के									
निबंधनानुसार आवेदन करने के लिए अयोग्य									
आवेदक द्वारा प्रयोग किया गया विकल्प									
घाटे या मूल्यह्रास या मैट क्रेडिट की कमी पर कर का भुगतान करने का चयन									
यदि हां ए के अधीन सुसंगत अनुसूची के लिए जाना; यदि अनुसूची घ नहीं भरता है									
भाग ख – विवाद से संबंधित जानकारी									

कर बकाया	। की प्रकृति	विवादित कर /	विवादित	विवादित कर के संबंध में अपील के अधीन कवर की							
	-	विवादित ब्याज /	गई घोष	गई घोषणा और विवादित कर के संबंध में							
		विवादित जुर्माना /	अधिरोपि	अधिरोपित किया गया जुर्माना।							
		विवादित शुल्क	हां/नहीं								
आदेश का	विवरण	(ई-उपयोगिता में	लंबित म	ामलों के ब्यौ	रे*			(ई-उप	योगिता ग	में उपबंध	
जिसके द्वार	प कर	उपबंध करने के	अपील/य	ाचिका/एसए	ज़िपी/डी	आरपी		करने वे	लिए ड्रॉ	ॉप डाऊन)	
बकाया नि		लिए ड्रॉप डाऊन)	आक्षेप/पु	नर्विलोकन							
किया गया	है		आवेदन-								
			*लंबित म	गमलों में फ	ाइल कि	या जाना	भी				
			सम्मिलि	त है							
भाग ग – व	कर बकाया स <u>े</u>	संबंधित जानकारी									
(i)	कर बकाया	(अनुसूची के अनुसार)									
भाग घ – रे	. देय राशि से सं	विधित जानकारी			•						
(ii)	घटीवीएसर्व	ो के अधीन देय कुल र	ाशि यदि 3	म से उठाना (दोनों निर्धारिती							
` ,		न किया जाता है	5 511					ल के मामले में उस पर जोड़ा			
	G					जाना)					
(ii)	घटीवीएसर्व	ो के अधीन देय कुल र	ाशि यदि 31.03.2020 के सुसंगत अनुसूची से म					म से उठाना (दोनों निर्धारिती			
	बाद भुगतान	न किया जाता है	तथा विभाग की अपील के					र के माम	ले में उस	। पर जोड़ा	
						जाना)					
भाग ड – व	नर बकाया क <u>े</u>	विरुद्ध भुगतान से संबं	धित जानव	गरी		•					
(i)	घोषणाकर्ता	ने घोषणा पत्र फाइल	करने से प	हिले कर बक	ाया के ि	वेरुद्ध को	ई भुगतान	हां		नहीं	
.,	किया है या										
(ii)	यदि हां, तो	कृपया निम्नलिखित वि	वेवरण भरें								
क्रम सं.	संदाय की त	<u>.</u> ारीख		रकम			बीएसआर को	ड			
1.											
(iii)	कर बकाया	के विरुद्ध कुल भुगतान	Γ								
भाग च		ा देय/वापस यथास्थि		द्धि राशि: भ	ाग घ (i) या घ (i	i) सकता है, का	न भाग			
	ड (iii)			-		, ,	,				
				सत्यापन	•						
मैं			. का पुत्र	/पुत्री श्री				(অ	डे अक्षरों	में नाम)	
		ता हूँ कि मेरे द्वारा ज्ञ									
	प्राणी है और प्रसाध कर विवाद से विश्वास अधिवितास 2020 के उपाइंश्तें के अनुसार है।										

मैं	आगे	घोषणा	करता	हूं	कि	मैं	अपनी	क्षमता	से	यह	घोषणा	कर	रहा	हू	क्योंकि	(प्रदान	की	जाने	वाली	ड्रॉप	डाउन)
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·																ाको व	हरने ३	और इसे
सर	यापि	त करन म	र सक्षम	हू।	।मः	स्था	या खा	ता सख्य	ा/अ	धार	:संख्या ध	गरक	हू (य	ाद	आवटित	ाकयाः	जाता	ह)			
स्थ	ान																				
ता	रीख																				
								घोष	ग्णा	कर्ता	का नाम	और	हस्ता	क्षर	-						

अनुसूची क लागू होती है जहां घोषणा विवादित कर से संबंधित होती है (पैन के मामले में लागू)

संयोजन: विवादित कर + सीआईटी (ए) + निर्धारिती

अनुसूची ।. 31.01.2020 को सीआईटी (ए) के समक्ष निर्धारिती की लंबित है या सीआईटी (ए) के समक्ष निर्धारिती द्वारा अपील फ़ाईल करने का समय 31.01.2020 को समाप्त नहीं हुआ है।

क	आदेश के अनुसार कुल आय जिसके विरुद्ध फ़ाईल की गई अपील या फ़ाईल की जानी है	क	
	एक से बाहर विवादित आय		
ख	(i) उन मुद्दों से संबंधित, जिन्हें आईटीएटी द्वारा किसी भी निर्धारण वर्ष के लि उनके मामले में निर्धारिती के पक्ष में निर्णय लिया गया है (और इस तरह आदेश को बाद में उच्च न्यायालय द्वारा पलटा नहीं गया है) या उच्च न्यायाल (और इस तरह के आदेश को बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा पलटा नहीं गया है	के 1य	
	(ii) ख(i) के अलावा अन्य मुद्दों से संबंधित	बी(ii)	
ग	ख(i) में विवादित आय के संबंध में विवादित कर ।	ग	
घ	ख(ii) विवादित आय के संबंध में विवादित कर	घ	
ड.	गआईटी(क) द्वारा वृद्धि का कर प्रभाव, यदि कोई हो,	ड.	
च	कुल विवादित कर (ग+घ+ड)	च	
छ	विवादित कर पर वसूला गया ब्याज	छ	
ज	विवादित कर पर वसूला जुर्माना	ज	
झ	बकाया कर (च+छ+ज)	झ	
भ	31.03.2020 को या उससे पहले डीटीवीएसवी पर देय राशि		
	यदि गैर खोज मामला 0.5*ग+घ+ई	भ	
	यदि खोज मामला 0.625*ग+1.25*घ+1.25*ई		
म	31.03.2020 के बाद डीटीवीएसवी के अधीन देय राशि		
	यदि गैर खोज मामला 0.55*ग+1.1*घ+1.1*ई	म	
	यदि खोज मामला 0.675*ग+1.35*घ+1.35*ई		

संयोजन: विवादित कर + डीआरपी ड्राफ्ट आदेश + निर्धारिती

अनुसूची II. ड्राफ्ट निर्धारण आदेश के विरुद्ध निर्धारिती ने डीआरपी के साथ आक्षेप फ़ाईल की है के मामले में भरा जाएगा और 31.01.2020 को डीआरपी ने कोई निर्देश जारी नहीं किया है या एओ द्वारा पारित प्रारूप आदेश के विरुद्ध आक्षेप भरने की समयसीमा 31.01.2020 को समाप्त नहीं हुई है।

क	प्रारूप आदेश के अनुसार कुल आय जिसके विरुद्ध आपत्ति की जानी है या फ़ाईल की जानी है	क	
	ए से बाहर विवादित आय -		
ख	(i) उन मुद्दों से संबंधित, जिन्हें आईटीएटी द्वारा किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए उनके मामले में निर्धारिती के पक्ष में निर्णय लिया गया है (और इस तरह के आदेश को बाद में उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा उलट नहीं दिया गया है (और इस तरह के आदेश को बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा उलट नहीं दिया गया है)	ख(i)	
	(ii) ख(i) के अलावा अन्य मुद्दों से संबंधित	ख(ii)	
ग	ख(i) में विवादित आय के संबंध में विवादित कर	ग	
घ	ख(ii) में विवादित आय के संबंध में विवादित कर	घ	
ड.	कुल विवादित कर (ग+घ)	ड.	
च	विवादित कर पर वसूला गया ब्याज	च	
छ	विवादित कर पर लगाया जुर्माना	छ	
ज	बकाया कर (ड+च+छ)	ज	
भ	31.03.2020 को या उससे पहले डीटीवीएसवी पर देय राशि		
	यदि गैर खोज मामला 0.5*ग+घ	भ	
	यदि खोज मामला 0.625*ग +1.25*घ		
म	31.03.2020 के बाद डीटीवीएसवी के अधीन देय राशि		
	यदि गैर खोज मामला 0.55*ग+1.1*घ	म	
	यदि खोज मामला 0.675*ग+1.35*घ		

संयोजन: विवादित कर+डीआरपी दिशा + निर्धारिती

अनुसूची III. डीआरपी ने निर्धारिती द्वारा फ़ाईल किए गए आक्षेपों के प्रत्युत्तर में अधिनियम की धारा 144 ग के निर्देश जारी किए हैं मामले में फाइल किए जाएंगे एवं निर्धारण अधिकारी 31.01.2020 को डीआरपी द्वारा जारी ऐसे निर्देशों के अनुसार आदेश पारित नहीं किया गया है।

क	घआरप	ी के निर्देशानुसार कुल आय	क	
	ए से ब	ाहर विवादित आय		
ख	(i)	उन मुद्दों से संबंधित, जिन्हें आईटीएटी द्वारा किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए अपने मामले में निर्धारिती के पक्ष में निर्णय लिया गया है (और इस तरह के आदेश को बाद में उच्च न्यायालय द्वारा उलट नहीं दिया गया है) या उच्च न्यायालय (और इस तरह के आदेश को बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा उलट नहीं दिया गया है)	ख(i)	
	(ii)	ख(i) के सिवाय अन्य मुद्दों से संबंधित	ख(ii)	
ग	ख(i)में	विवादित आय के संबंध में विवादित कर	ग	
घ	ख(ii)	में विवादित आय के संबंध में विवादित कर	घ	
ड.	कुल वि	वादित कर (ग+घ)	ड.	
च	विवारि	देत कर पर वसूला गया ब्याज	च	
छ	विवारि	देत कर पर लगाया जुर्माना	छ	
ज	बकाय	ा कर (ड+च+छ)	ज	

भ	31.03.2020 को या उससे पहले डीटीवीएसवी पर देय राशि		
	यदि गैर खोज मामला 0.5*ग+घ	भ	
	यदि खोज मामला 0.625*ग+1.25*घ		
म	31.03.2020 के बाद डीटीवीएसवी के अधीन देय राशि यदि गैर खोज मामला 0.55		
	*ग+1.1*घ	म	
	यदि खोज मामला 0.675*ग+1.35*घ		

संयोजन: विवादित कर+आईटीएटी+निर्धारिती

अनुसूची IV. निर्धारिती की अपील 31.01.2020 को आईटीएटी के समक्ष लंबित है या आईटीएटी में विभाग द्वारा अपील फाइल करने का समय 31.01.2020 को समाप्त नहीं हुआ है।

क	आदेश	के अनुसार कुल आय जिसके विरुद्ध अपील फ़ाईल की गई है या फ़ाईल की जानी है	क						
	क से ब	क से बाहर विवादित आय							
ख	(i)	ख(i)							
	(ii)	ख(i) के अलावा अन्य मुद्दों से संबंधित	ख(ii)						
ग	ख(i) में	विवादित आय के संबंध में विवादित कर	ग						
घ	ख(ii) मे	ां विवादित आय के संबंध में विवादित कर	घ						
ड.	कुल वि	वादित कर (ग+घ)	ड.						
च	विवादि	त कर पर वसूला गया ब्याज	च						
छ	विवादि	त कर पर वसूला जुर्माना	छ						
ज	कर बक	जया (ड.+च+छ)	ज						
भ	31.03	.2020 को या उससे पहले डीटीवीएसवी पर देय राशि							
		र खोज मामला 0.5*ग+घ	भ						
	यदि ख	ोज मामला 0.625*ग+1.25*घ							
म	31.03								
	यदि गै	र खोज मामला 0.55*ग+1.1*घ	म						
	यदि खे	ोज मामला 0.675*ग+1.35*घ							

संयोजन: विवादित कर + आईटीएटी + विभाग

अनुसूची V. विभाग की अपील 31.01.2020 को आईटीएटी के समक्ष लंबित है या आईटीएटी में विभाग द्वारा अपील फाइल करने का समय 31.01.2020 को समाप्त नहीं हुआ है।

क	आदेश के अनुसार कुल आय जिसके विरुद्ध फ़ाईल की गई अपील फ़ाईल की गई है या फ़ाईल की जानी है	क	
ख	क से बाहर विवादित आय	ख	
ग	ख में विवादित आय के संबंध में विवादित कर	ग	
घ	विवादित कर पर वसूला गया ब्याज	घ	
ड.	विवादित कर पर लगाया जुर्माना	ड.	
च	बकाया कर (ग+घ+ई)	च	
भ	31.03.2020 को या उससे पहले डीटीवीएसवी के अधीन देय राशि	भ	
	यदि गैर खोज मामला 0.5*ग		
	यदि खोज मामला 0.625*ग		

म	31.03.2020 के बाद डीटीवीएसवी के अधीन देय राशि	म	
	यदि गैर खोज मामला 0.55*ग		
	यदि खोज मामला 0.675*ग		

संयोजन: विवादित कर+एचसी+निर्धारिती

अनुसूची VI. निर्धारिती की अपील या याचिका 31.01.2020 को उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है या एचग में निर्धारिती द्वारा अपील फाइल करने का समय 31.01.2020 को समाप्त नहीं हुआ है।

क	आदेश के अनुसार कुल आय जिसके विरुद्ध अपील/याचिका फ़ाईल की गई या अपील फ़ाईल की जाएगी	क	
ख	क से बाहर विवादित आय	ভ	
ग	ख में विवादित आय के संबंध में विवादित कर	ग	
घ	विवादित कर पर वसूला गया ब्याज	घ	
ड.	विवादित कर पर लगाया जुर्माना	ড.	
च	कर बकाया (ग+घ+ई)	च	
भ	घटीवीएसवी के अधीन देय राशि 31.03.2020 को या उससे पहले	भ	
	यदि गैर खोज मामला ग		
	यदि खोज मामला 1.25*ग		
म	31.03.2020 के बाद डीटीवीएसवी के अधीन देय राशि	म	
	यदि गैर खोज मामला 1.1*ग		
	यदि खोज मामला 1.35*ग		

संयोजन: विवादित कर+एचसी+विभाग

अनुसूची VII. विभाग की अपील या याचिका 31.01.2020 को उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है या एचग में विभाग द्वारा अपील फाइल करने का समय 31.01.2020 को समाप्त नहीं हुआ है।

क	आदेश के अनुसार कुल आय जिसके विरुद्ध अपील/याचिका फ़ाईल की गई या अपील फ़ाईल की जाएगी	क	
ख	ए से बाहर विवादित आय	ख	
ग	ख में विवादित आय के संबंध में विवादित कर	ग	
घ	विवादित कर पर वसूला गया ब्याज	घ	
ड.	विवादित कर पर लगाया जुर्माना	ड.	
च	कर बकाया (ग+घ+ड.)	च	
भ	31.03.2020 को या उससे पहले डीटीवीएसवी के अधीन देय राशि	भ	
	यदि गैर खोज मामला 0.5*ग		
	यदि खोज मामला 0.625*ग		
म	31.03.2020 के बाद डीटीवीएसवी के अधीन देय राशि	म	
	यदि गैर खोज मामला 0.55*ग		
	यदि खोज मामला 0.675*ग		

संयोजन: विवादग्रस्त कर + एससी + निर्धारती

अनुसूची VIII निर्धारिती को अपील या रिट या विशेष अनुमति याचिका 31.01.2020 तक उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील या विशेष अनुमति याचिका फाइल करने का समय 31.01.2020 तक समाप्त नहीं हुआ है, की दशा में भरें।

क	फाइल की गई अपील/रिट/विशेष अनुमति याचिका या फाइल की जाने वाली अपील विशेष	क	
	अनुमति याचिका के विरुद्ध आदेश के अनुसार कुल आय		
ख	क के अतिरिक्त विवादित आय	ख	
ग	ख के विवादित आय के संबंध में विवादित कर	ग	
घ	विवादित कर पर भारित ब्याज	घ	
ड.	विवादित कर पर उद्ग्रहीत शास्ति	ड.	
च	बकाया कर (ग+घ+ड.)	च	
भ	31.03.2020 को या उसके पूर्व डीटीवीएसवी के अधीन देय रकम	भ	
	यदि मामला ख खोजा नहीं गया है,		
	यदि मामला 1.25*ग खोज लिया गया है।		
म	31.03.2020 के बाद डीटीवीएसवी के अधीन देय रकम	म	
	यदि मामला 1.1*ग खोजा नहीं गया है		
	यदि मामला 1.35*ग खोज लिया गया है		

संयोजन: विवादग्रस्त कर + एससी + विभाग

अनुसूची IX विभाग को अपील या रिट या विशेष अनुमित याचिका का 31.01.2020 तक उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है या विभाग द्वारा एसग में अपील या विशेष अनुमित याचिका फाइल करने का समय 31.01.2020 तक समाप्त नहीं हुआ है, की दशा में भरें।

क	फाइल की गई अपील/रिट/विशेष अनुमति याचिका या फाइल की जाने वाली/विशेष अनुमति	क	
	याचिका के विरुद्ध आदेश के अनुसार कुल आय		
ख	क के अतिरिक्त विवादित आय	ख	
ग	ख के विवादित आय के संबंध में विवादित कर	ग	
घ	विवादित कर पर भारित ब्याज	घ	
ड.	विवादित कर पर उद्ग्रहीत शास्ति	ड.	
च	बकाया कर (ग+घ+ड.)	च	
भ	31.03.2020 को या उसके पूर्व डीटीवीएसवी के अधीन देय रकम यदि मामला खोजा नहीं गया	भ	
	है 0.5*ग		
	यदि मामला खोजा गया है 0.625*ग		
म	31.03.2020 के बाद डीटीवीएसवी के अधीन देय रकम	म	
	यदि मामला 0.55*ग खोजा नहीं गया है		
	यदि मामला 0.675*ग खोजा गया है		

संयोजन: विवादग्रस्त कर + 264 + निर्धारिती

अनुसूची X धारा 264 के अधीन पुनरीक्षण आवेदन 31.01.2020 तक पीसीआईटी/सीआईटी के समक्ष लंबित है, की दशा में भरें।

क	फाइल की गई पुनरीक्षण आवेदन के विरुद्ध आदेश के अनुसार कुल आय	क	
ख	क के अतिरिक्त विवादित आय	ख	
ग	ख के अतिरिक्त विवादित आय के संबंध में विवादित कर	ग	
घ	विवादित कर पर भारित ब्याज	घ	
ड.	विवादित कर पर उद्ग्रहीत शास्ति	ड.	

च	बकाया कर (ग+घ+ड.)	चि	
भ	31.03.2020 को या उसके पूर्व डीटीवीएसवी के अधीन देय रकम यदि मामला ग खोजा नहीं	भ	
	गया है		
	यदि मामला 1.25ग खोजा गया है		
म	31.03.2020 के बाद डीटीवीएसवी के अधीन देय रकम	म	
	यदि मामला 1.1*ग खोजा नहीं गया है।		
	यदि मामला 1.35*ग खोजा गया है।		

संयोजन: विवादग्रस्त कर + माध्यस्थम/सुलह/मध्यस्था + निर्धारिती

अनुसूची XI निर्धारिती के माध्यस्थम या सुलह या मध्यस्थता का 31.01.2020 तक तक लंबित होने, की दशा में भरें।

क	माध्यस्थम/सुलह/मध्यस्थता के फाइल किए जाने के विरुद्ध कुल आय	क	
ख	क के अतिरिक्त विवादित आय	ख	
ग	ख पर विवादित आय के संबंध में विवादित कर	ग	
घ	विवादित कर पर भारित ब्याज	घ	
ड.	विवादित कर पर उद्ग्रहीत शास्ति	ड.	
च	बकाया कर (ग+घ+ड.)	च	
भ	31.03.2020 को या उसके पूर्व डीटीवीएसवी के अधीन देय रकम	भ	
	यदि मामला ग खोजा नहीं गया है,		
	यदि मामला 1.25*ग खोजा गया है।		
म	31.03.2020 के बाद डीटीवीएसवी के अधीन देय रकम	म	
	यदि मामला 1.1*ग खोजा नहीं गया है		
	यदि मामला 1.35*ग खोजा गया है।		

ख. अनुसूची लागू होगी जहां विवादग्रस्त टीडीएस/टीसीएस (टीएएन के लिए लागू) से संबंधित घोषणा है।

सहयोजन: विवादग्रस्त टीडीएस/टीसीएस+सीआईटी(ए)+कटौतीकर्ता/क्लक्टर

अनुसूची 1 निर्धारिती की अपील 31.01.2020 तक सीआईटी(ए) के समक्ष लंबित या निर्धारिती द्वारा सीआईटी(ए) के समक्ष अपील फाइल का समय 31.01.2020 तक समाप्त नहीं हुआ है, की दशा में भरें।

	अपील में	या फाइल होने वाली अपील में विवादग्रस्त टीडीएस/टीसीएस की रकम	क	क(i)+क(ii)
	(i)	विवाद्यकों से संबंधित, जो आईटीएटी द्वारा किसी वित्तीय वर्ष के लिए उनके	क(i)	
		संबंध में निर्धारिती के पक्ष में निर्णीत किया है (और ऐसे आदेश उच्च न्यायालय		
क		द्वारा पश्चातवर्ती उलटा नहीं गया हैं) या उच्च न्यायालय (उच्चतम न्यायालय		
		द्वारा पश्चातवर्ती उल्टा नहीं गया है।)		
	(ii)	क(i) से अन्यथा विवाद्यक से संबंधित	क(ii)	
ख	का प्रभाव	। की वृद्धी, यदि कोई हो, सीआईटी (क) द्वारा	ख	
ग	विवादग्रस	न्त टीडीएस/टीसीएस पर भारित ब्याज	ग	
घ	विवादग्रस	न्त टीडीएस/टीसीएस पर उदगृहीत शास्ति	घ	
ड.	टीडीएस/	टीसीएस बकाया कर (क+ख+ग+घ)	ड.	
भ	31.03.2	2020 को या उसके पूर्व डीटीवीएसवी के अधीन देय रकम	भ	
	यदि माम	ला 0.5*क(i)+क(ii)+ख खोजा नहीं गया है		
	यदि माम	ला 0.625*क(i)+1.25*क(ii)+1.25*ख खोजा गया है		
म	31.03.2	2020 के बाद डीटीवीएसवी के अधीन देय रकम	म	
	यदि माम	ला 0.55*क(i)+1.1*क(ii)+1.1*ख खोजा नहीं गया है		
	यदि माम	ला 0.675*क(i)+1.35*क(ii)+1.35*ख खोजा गया है		

सहयोजन: विवादग्रस्त टीडीएस/टीसीएस+आईटीएटी+कटौतीकर्ता/क्लक्टर

अनुसूची 2 निर्धारिती की अपील 31.01.2020 तक आईटीएटी के समक्ष लंबित या निर्धारिती द्वारा आईटीएटी के समक्ष अपील फाइल का समय 31.01.2020 तक समाप्त नहीं हुआ है, की दशा में भरें।

	अपील में	या फाइल होने वाली अपील में विवादग्रस्त टीडीएस/टीसीएस की रकम	क	क(i)+क(ii)
	(i)	विवाद्यकों से संबंधित, जो आईटीएटी द्वारा किसी निर्धारण वर्ष के लिए उनके	क(i)	
		संबंध में निर्धारिती के पक्ष में निर्णीत किया है (और ऐसे आदेश उच्चतम		
क		न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती उलटा नहीं गया है)		
	(ii)	क(i) से अन्यथा विवाद्यक से संबंधित	क(ii)	
ख	का प्रभाव	। की वृद्धी, यदि कोई हो, गआईटी (क) द्वारा	ख	
ग	विवादग्र	न्त टीडीएस/टीसीएस पर उदग्रहीत शास्ति	ग	
घ	टीडीएस/	टीसीएस बकाया कर (क+ख+ग)	घ	
भ	31.03.2	2020 को या उसके पूर्व डीटीवीएसवी के अधीन देय रकम		
	यदि माम	ला 0.5* क(i)+क(ii) खोजा नहीं गया है		
	यदि माम	ला 0.625*क(i)+1.25*क(ii) खोजा गया है	भ	
म	31.03.2	2020 के बाद डीटीवीएसवी के अधीन देय रकम	म	
	यदि माम	ला 0.55* क(i)+1.1*क(ii) खोजा नहीं गया है		
	यदि माम	ला 0.675*क(i)+1.35*क(ii) खोजा गया है		

सहयोजनः विवादग्रस्त टीडीएस/टीसीएस+आईटीएटी+विभाग

अनुसूची 3 विभाग की अपील 31.01.2020 तक आईटीएटी के समक्ष लंबित या आईटीएटी में विभाग द्वारा अपील फाइल करने का समय 31.01.2020 तक समाप्त नहीं हुआ है, की दशा में भरें।

	अपील या फाइल की जाने वाली अपील में विवादग्रस्त टीडीएस/टीसीएस की रकम			
क	टीडीएस/टीसीएस व्यतिक्रम जिसके लिए रिट या अपील फाइल की गई है या अपील	क		
	फाइल की जानी है			
ख	विवादग्रस्त टीडीएस/टीसीएस पर भारित ब्याज	ख		
ग	विवादग्रस्त टीडीएस/टीसीएस पर उदग्रहीत शास्ति	ग		
घ	टीडीएस/टीसीएस बकाया (क+ख+ग)	घ		
भ	31.03.2020 को या उसके पूर्व डीटीवीएसवी के अधीन देय रकम			
	यदि मामला 0.5*क खोजा नहीं गया है			
	यदि मामला 0.625*क खोजा गया है			
		भ		
म	31.03.2020 के बाद डीटीवीएसवी के अधीन देय रकम	म		
	यदि मामला 0.55*क खोजा नहीं गया है			
	यदि मामला 0.675*क खोजा गया है			
			•	

सहयोजन: विवादग्रस्त टीडीएस/टीसीएस+एचसी+कटौतीकर्ता/क्लक्टर

अनुसूची 4 निर्धारिती की अपील या रिट 31.01.2020 तक उच्च न्याययलय के समक्ष लंबित या निर्धारिती द्वारा उच्च न्यायलय के समक्ष अपील फाइल का समय 31.01.2020 तक समाप्त नहीं हुआ है, की दशा में भरें।

	अपील में या फाइल होने वाली अपील में विवादग्रस्त टीडीएस/टीसीएस की रकम			
क	टीडीएस/टीसीएस व्यतिक्रम जिसके लिए रिट या अपील फाइल की गई है या अपील फाइल की जानी है	क		
ख	विवादग्रस्त टीडीएस/टीसीएस पर भारित ब्याज	ख		
ग	विवादग्रस्त टीडीएस/टीसीएस पर उदग्रहीत शास्ति	ग		

घ	टीडीएस/टीसीएस बकाया कर (क+ख+ग)	घ	
भ	31.03.2020 को या उसके पूर्व डीटीवीएसवी के अधीन देय रकम		
	यदि मामला क खोजा नहीं गया है		
	यदि मामला 1.25*क खोजा गया है	भ	
म	31.03.2020 के बाद डीटीवीएसवी के अधीन देय रकम	म	
	यदि मामला 1.1*क खोजा नहीं गया है		
	यदि मामला 1.35*क खोजा गया है		

सहयोजनः विवादग्रस्त टीडीएस/टीसीएस+एचसी+विभाग

अनुसूची 5 विभाग की अपील या रिट 31.01.2020 तक उच्च न्याययलय के समक्ष लंबित या एचग में विभाग द्वारा अपील फाइल करने का समय 31.01.2020 तक समाप्त नहीं हुआ है, की दशा में भरें।

	अपील या फाइल की जाने वाली अपील में विवादग्रस्त टीडीएस/टीसीएस की रकम			
क	टीडीएस/टीसीएस व्यतिक्रम जिसके लिए रिट या अपील फाइल की गई है या अपील	क		
	फाइल की जानी है			
ख	विवादग्रस्त टीडीएस/टीसीएस पर भारित ब्याज	ख		
ग	विवादग्रस्त टीडीएस/टीसीएस पर उदग्रहीत शास्ति	ग		
घ	टीडीएस/टीसीएस बकाया (क+ख+ग)	घ		
भ	31.03.2020 को या उसके पूर्व डीटीवीएसवी के अधीन देय रकम			
	यदि मामला 0.5*क खोजा नहीं गया है			
	यदि मामला 0.625*क खोजा गया है	भ		
म	31.03.2020 के बाद डीटीवीएसवी के अधीन देय रकम	म		
	यदि मामला 0.55*क खोजा नहीं गया है			
	यदि मामला 0.675*क खोजा गया है			

सहयोजन: विवादग्रस्त टीडीएस/टीसीएस+एससी+कटौतीकर्ता/क्लक्टर

अनुसूची 6 निर्धारिती की अपील या रिट या विशेष इजाज़त याचिका उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित या निर्धारीति द्वारा उच्चतम न्यायालय के समक्ष विशेष इजाज़त याचिका फाइल करने का समय 31.01.2020 तक समाप्त नहीं हुआ है, की दशा में भरें।

	अ पील या फाइल की जाने वाली अपील में विवादग्रस्त टीडीएस/टीसीएस की रकम			
क	टीडीएस/टीसीएस व्यतिक्रम जिसके लिए रिट या अपील या विशेष अनुमति याचिका फाइल की गई है या फाइल की जानी है			
ख	विवादग्रस्त टीडीएस/टीसीएस पर भारित ब्याज	ख		
ग	विवादग्रस्त टीडीएस/टीसीएस पर उद्ग्रहीत शास्ति	ग		
घ	टीडीएस/टीसीएस बकाया (क+ख+ग)	घ		
भ	31.03.2020 को या उसके पूर्व डीटीवीएसवी के अधीन देय रकम			
	यदि मामला क खोजा नहीं गया है			
	यदि मामला 1.25*क खोजा गया है	भ		
म	31.03.2020 के बाद डीटीवीएसवी के अधीन देय रकम यदि मामला 1.1*क खोजा	म		
	नहीं गया है			
	यदि मामला 1.35*क खोजा गया है			

सहयोजन: विवादग्रस्त टीडीएस/टीसीएस+एसग+विभाग

अनुसूची 7 विभाग की अपील या रिट या विशेष इजाज़त याचिका उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित या विभाग द्वारा एचग में अपील या विशेष इजाज़त याचिका फाइल करने का समय 31.01.2020 तक समाप्त नहीं हुआ है, की दशा में भरें।

	अपील या फाइल की जाने वाली अपील में विवादग्रस्त टीडीएस/टीसीएस की रकम			
क	टीडीएस/टीसीएस व्यतिक्रम जिसके लिए रिट या अपील या विशेष अनुमति याचिका फाइल की गई है या फाइल की जानी है	क		
ख	विवादग्रस्त टीडीएस/टीसीएस पर भारित ब्याज	ख		
ग	विवादग्रस्त टीडीएस/टीसीएस पर उदग्रहीत शास्ति	म		
घ	टीडीएस/टीसीएस बकाया (क+ख+ग)	घ		
भ	31.03.2020 को या उसके पूर्व डीटीवीएसवी के अधीन देय रकम			
	यदि मामला 0.5*क खोजा नहीं गया है			
	यदि मामला 0.625*क खोजा गया है	भ		
म	31.03.2020 के बाद डीटीवीएसवी के अधीन देय रकम यदि मामला 0.55*क खोजा नहीं गया है	म		
	यदि मामला 0.675*क खोजा गया है			

संयोजन : विवादग्रस्त टी डी एस टी सी एस+ 264+ डिडक्टर/ कलेक्टर

अनुसूची VIII. 31.1.2020 को पी सी आई टी/ सी आई टी के समक्ष लंबित धारा 264 के अधीन निर्धारिती के पुनरीक्षण आवेदन की दशा में भरा जाए

अपील में र	अपील में या फाईल होने वाली अपील में विवादग्रस्त टी डी एस टी सी एस की राशि		
क	टी डी एस/ टी सी एस व्यतिक्रम जिसके लिए पुनरीक्षित आवेदन दायर किया गया	क	
ख	विवादग्रस्त टी डी एस/ टी सी एस पर लगाया गया ब्याज	ख	
ग	विवादग्रस्त टी डी एस/ टी सी एस पर उदग्रहीत जुर्माना	ग	
घ	बकाया टी डी एस/ टी सी एस(क+ ख + ग)	घ	
भ	31.3.2020 को या उससे पहले डी टी वी एस वी के अधीन देय राशि	भ	
	यदि गैर तैलाशी मामला क		
	यदि गैर तलाशी मामला 1.25* क		
म	31.3.2020 के पश्चात् डी टी वी एस वी के अधीन देय राशि यदि गैरतलाशी मामला	म	
	1.1 * क		
	यदि तलाशी मामला 1.35 * क		

संयोजन: विवादग्रस्त टी डी एस टी सी एस मध्यस्थता / सुलह / मध्यकता / निर्धारिती

अनुसूची IX. 31.1.2020 को निर्धारिती के समक्ष लंबित मध्यस्थता या सुलह या मध्यकता की दशा में भरा जाए

अपील में र	अपील में या फाईल होने वाली अपील में विवादग्रस्त टी डी एस/ टी सी एस की राशि		
क	टी डी एस /टी सी एस व्यतिक्रम के लिए मध्यस्थता या सुलह या मध्यकता फाइल की गई है ।	क	
ख	विवादग्रस्त टी डी एस /टी सी एस पर लगाया गया ब्याज	ख	
ग	विवादग्रस्त टी डी एस/ टी सी एस पर उदग्रहीत जुर्माना	ग	
घ	बकाया टी डी एस /टी सी एस(क+ ख + ग)	घ	
भ	31.3.2020 को या उससे पहले डी टी वी एस वी के अधीन देय राशि यदि गैर तलाशी मामलों 1.25* क		

म	31.3.2020 के पश्चात् डी टी वी एस वी के अधीन देय राशि		
	यदि गैरतलाशी मामला 1.1 * क		
	यदि तलाशी मामला 1.35 * क		
ग. अनुसूर्च लागू)	ो, जहां घोषणा केवल विवादग्रस्त जुर्माना, ब्याज या शुल्क से संबंधित है, लागू करें (पी ए एन	और टी ए ए	न के लिए

संयोजन: विवादग्रस्त जुर्माना / ब्याज/ शुल्क + सी आई टी (ए) + निर्धारिती

अनुसूची I: निर्धारिती की अपील 31.01.2020 को सी आई टी (ए) के समक्ष लंबित या सी आई टी (ए) के समक्ष अपील फाइल करने का समय 31.01.2020 को समाप्त नहीं हुआ है, की दशा में भरें।

क	प्रति आदेश जुर्माना/ ब्याज/ शुल्क की कुल राशि जिसके विरुद्ध अपील फाईल की गई या की जाने वाली है।		
ख	विवादग्रस्त जुर्माना/ ब्याज/ शुल्क की राशि (क) में से	क	
	(i) विवाद्यकों से संबंधित, जो कि आई टी ए टी द्वारा किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारिती के पक्ष में उसके मामले में निर्णीत किया है (और ऐसा आदेश उच्च न्यायालय द्वारा तत्पश्चात् उलटा नहीं गया है) या उच्च न्यायालय (और ऐसा आदेश उच्चतम न्यायालय द्वारा तत्पश्चात् उलटा नहीं गया है)	ख(i)	ख(i)+ ख(i)
	(ii) ख (i) से अन्यथा विवाद्यक से संबंधित	ख(ii)	
ग	सी आई टी (क) दवारा बढ़ाया जाने वाला प्रस्तावित जुर्माना या ब्याज या शुल्क		
घ	बकाया कर ख(i)+ ख(ii)+ ग	घ	
भ	31.03.2020 को या उससे पहले डी टी वी एस वी के अधीन देय राशि= 0.125* ख (i)+0.25* ख (ii)+0.25* ग	भ	
म	31.03.2020 के पश्चात् डी टी वी एसवी के अधीन देय राशि=0.15*ख (i)+0.3*ख (ii)+0.3*ग	म	

संयोजन: विवादग्रस्त जुर्माना / ब्याज/ शुल्क + आई टी ए टी + निर्धारिती

अनुसूची ॥ : निर्धारिती की अपील 31.01.2020 को आई टी ए टी के समक्ष लंबित या निर्धारिती द्वारा आई टी ए टी के समक्ष अपील फाइल का समय 31.01.2020 को समाप्त नहीं हुआ है, की दशा में भरें ।

क	प्रति आदेश जुर्माना/ब्याज/शुल्क की कुल राशि जिसके विरुद्ध अपील फाईल की गई या की जाने वाली है	क	
ख	निर्धारिती द्वारा अपील के कारण विवादग्रस्त जुर्माना /ब्याज/ शुल्क	ख	ख(i)+ख
			(ii)
	(i) विवाद्यकों से संबंधित, जो उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारिती के पक्ष में उनके मामले में निर्णीत किया है (और ऐसा आदेश उच्चतम न्यायालय द्वारा तत्पश्चात् उलटा नहीं गया है)	ख(i)	
	(ii) ख (ii) से अन्यथा विवाधक से संबंधित से अन्यथा	ख (ii)	
ग	बकाया कर ख(i)+ ख(ii)	ग	
भ	31.03.2020 को या उससे पहले डी टी वी एस वी के अधीन देय राशि = 0.125* ख(i)+0.25* ख (ii)	भ	
म	31.03.2020 के पश्चात् डी टी वी एस वी के अधीन देय़ राशि = 0.15*ख(i)+0.3*ख (ii)	म	

संयोजन: विवादग्रस्त जुर्माना / ब्याज/ शुल्क + आई टी ए टी + विभाग

अनुसूची III. निर्धारिती की अपील 31.01.2020 को आई टी ए टी के समक्ष लंबित या विभाग द्वारा आई टी ए टी के समक्ष अपील फाइल का समय 31.01.2020 को समाप्त नहीं हुआ है, की दशा में भरें।

क	प्रति आदेश जुर्माना/ब्याज/शुल्क की कुल राशि जिसके विरुद्ध अपील फाईल की गई या की जाने वाली है	क	
ख	विवाद्यकों से संबंधित विवादग्रस्त जुर्माना/ ब्याज /शुल्क जिस पर अपील फाइल की गई है या की जाने वाली है	ख	
ग	बकाया टैक्स (ख)	ग	
भ	31.3.2020 को या उससे पहले डी टी वी एसवी के अधीन देय राशि= 0.125*ख	भ	
म	31.3.2020 को या उससे पहले डी टी वी एस वी के अधीन देय राशि= 0.15*ख	म	

संयोजन: विवादग्रस्त जुर्माना / ब्याज/ शुल्क + उच्च न्यायालय + निर्धारिती

अनुसूची IV. निर्धारिती की अपील या रिट 31.01.2020 को उच्च न्यायलय के समक्ष लंबित या निर्धारिती द्वारा उच्च न्यायलय के समक्ष अपील फाइल का समय 31.01.2020 को समाप्त नहीं हुआ है, की दशा में भरें।

क	आदेशानुसार जुर्माना/ ब्याज /शुल्क की कुल राशि जिसके विरुद्ध अपील या रिट फाइल की गई या की जाने वाली है	क	
ख	निर्धारिती द्वारा विवादग्रस्त जुर्माना /ब्याज /शुल्क अपील में देय	ख	
ग	बकाया टैक्स ख	ग	
भ	31.3.2020 को या उससे पहले डी टी वी एस वी के अधीन देय राशि= 0.125*ख	भ	
म	31.3.2020 के पश्चात् डी टी वी एस वी के अधीन देय राशि= 0.3*ख	म	

संयोजन: विवादग्रस्त जुर्माना / ब्याज/ शुल्क + उच्च न्यायालय + विभाग

अनुसूची V. विभाग की अपील या रिट 31.01.2020 को उच्च न्यायलय के समक्ष लंबित या विभाग द्वारा उच्च न्यायलय के समक्ष अपील फाइल का समय 31.01.2020 को समाप्त नहीं हुआ है, की दशा में भरें।

क	आदेशानुसार जुर्माना/ ब्याज /शुल्क की कुल राशि जिसके विरुद्ध अपील या रिट फाइल की गई या की जाने वाली है	क	
ख	अपील में उठाए गए विवाधकों पर विवादग्रस्त जुर्माना /ब्याज /शुल्क बनाए रखना	ख	
ग	बकाया टैक्स (ख)	ग	
भ	31.3.2020 को या उससे पहले डी टी वी एसवी के अधीन देय राशि= 0.125*ख	भ	
म	31.3.2020 के पश्चात् डी टी वी एसवी के अधीन देय राशि= 0.15*ख	म	

संयोजन: विवादग्रस्त जुर्माना / ब्याज/ शुल्क + उच्चतम न्यायालय + निर्धारिती

अनुसूची VI निर्धारिती की अपील या रिट या एस एल पी 31.01.2020 को उच्चतम न्यायलय के समक्ष लंबित या निर्धारिती द्वारा उच्चतम न्यायलय के समक्ष अपील या एस एल पी फाइल का समय 31.01.2020 को समाप्त नहीं हुआ है, की दशा में भरें।

क	आदेशानुसार जुर्माना/ ब्याज /शुल्क की कुल राशि जिसके विरुद्ध अपील या रिट या एस		
	एल पी फाइल की गई या की जाने वाली है	क	
ख	निर्धारिती द्वारा विवादग्रस्त जुर्माना /ब्याज /शुल्क अपील में देय	ख	
ग	बकाया टैक्स (ख)	ग	
भ	31.3.2020 को या उससे पहले डी टी वी एस वी के अधीन देय राशि= 0.25*ख	भ	
म	31.3.2020 के पश्चात् डी टी वी एसवी के अधीन देय राशि= 0.3 *ख	म	

संयोजन: विवादग्रस्त जुर्माना / ब्याज/ शुल्क + उच्चतम न्यायालय + विभाग

अनुसूची VII . विभाग की अपील या रिट या एस एल पी 31.01.2020 को उच्चतम न्यायलय के समक्ष लंबित या विभाग द्वारा उच्चतम न्यायलय के समक्ष अपील या एस एल पी फाईल का समय 31.01.2020 को समाप्त नहीं हुआ है, की दशा में भरें।

क	आदेशानुसार जुर्माना/ ब्याज /शुल्क की कुल राशि जिसके विरुद्ध अपील या रिट या एस एल पी फाईल की गई या की जाने वाली है	क	
ख	अपील में उठाए गए विवाद्यकों पर विवादग्रस्त जुर्माना /ब्याज /शुल्क बनाए रखना	ख	
ग	बकाया टैक्स (ख)	ग	
भ	31.3.2020 को या उससे पहले डी टी वी एसवी के अधीन देय राशि= 0.125*ख	भ	
म	31.3.2020 के पश्चात् डी टी वी एसवी के अधीन देय राशि=	म	
	0. 15*ख		

संयोजन विवादग्रस्त टी डी एस टी सी एस+ 264+निर्धारिती

अनुसूची VIII. 31.1.2020 को पी सी आई टी/ सी आई टी के समक्ष लंबित धारा 264 के अधीन निर्धारिती के पुनरीक्षण आवेदन की दशा में भरा जाए ।

अपील में य	अपील में या फाईल होने वाली अपील में विवादग्रस्त टी डी एस/ टी सी एस की राशि			
क	आदेशानुसार जुर्माना/ ब्याज /शुल्क की कुल राशि जिसके विरुद्ध पुनरीक्षित आवेदन फाईल किया गया	क		
ख	विवादग्रस्त जुर्माना /ब्याज /शुल्क पुनरीक्षित आवेदन में उठाए गए विवाद्यकों पर	ख		
घ	बकाया टैक्स (ख)	घ		
भ	31.3.2020 को या उससे पहले डी टी वी एस वी के अधीन देय राशि= (0.25*ख)	भ		
म	31.3.2020 के पश्चात् डी टी वी एस वी के अधीन देय राशि= (0.3 *ख)	म		

संयोजन: विवादग्रस्त जुर्माना/ ब्याज और शुल्क +मध्यस्थता /सुलह / मध्यकता + निर्धारिती अनुसूची IX : 31.1.2020 को निर्धारिती के समक्ष लंबित मध्यस्थता या सुलह या मध्यकता की दशा में भरा जाए

अपील में या फाईल होने वाली अपील में विवादग्रस्त टी डी एस टी सी एस की राशि आदेशानुसार जुर्माना/ ब्याज /शुल्क की कुल राशि जिसके विरुद्ध मध्यस्थता या सुलह या क मध्यकता फाईल किया गया है विवादग्रस्त जुर्माना /ब्याज /शुल्क मध्यस्थता (ख) में उठाए गए विवाद्यकों पर ख ख 31.3.2020 को या उससे पहले डी टी वी एस वी के अधीन देय राशि भ भ यदि गैरतलाशी मामला क यदि गैर तलाशी मामला 1.25* क 3.3.2020 के पश्चात् डी टी वी एस वी के अधीन देय राशि म म यदि गैरतलाशी मामला 1.1 * क यदि तलाशी मामला 1.35 * क

अनुसूची घ यदि अपीलार्थी द्वारा अवनत हानि /मूल्य ह्वास का प्रभाव रखने वाले अतिरिक्तों पर या अग्रनीत किए गए एम ए टी प्रत्यय पर कर का संदाय नहीं किए जाने का चयन किया जाता है तब निम्नलिखित अनुसूची के सुसंगत स्तंभ से भरा जाए।

शेष हानि /मूल्य ह्रास/एम ए टी प्रत्यय	शेष हानि	शेष मूल्य ह्रास	एम ए टी प्रत्यय
निर्धारिती द्वारा लाए गए दावे के रूप में (क)			
निर्धारिती द्वारा आगे किए गए दावे के रूप में (ख)			
विवादग्रस्त आय (ग)			
आयकर प्राधिकारियों के आदेशानुसार लाया जाना (घ)			
आयकर प्राधिकारियों के आदेशानुसार आगे बढ़ाना (ड.)			

अनुदेश देखें:

प्ररूप-2

[नियम 3 (2) देखें]

प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 (2020 का 3) की धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन वचनबंध प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास नियम, 2020

सेवा में,	
अभिहित प्राधिकारी	
महोदय/महोदया,	
*मैं,	या भारत द्वारा हो या अन्यथा,
*मैं,पदनाम (स्पष्ट अक्षरों में) पुत्र /पुत्री श्रीपदनामपदनामहूँ मुझे . (घोषणाकर्ता का नाम) जिसका पैन/आधार संख्या है(घोषणाकर्ता का नाम) की ओर से मैं सम्यक रूप से प्राधिकृत और सक्षम हूँ प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 के फायदे के उपभोग कर कर बकाया के संबंध में, जो कानून द्वारा या भारत द्वारा भारत के बाहर किसी देश या किसी राज्यक्षेत्र के साथ कि विनिधान के संरक्षण के लिए हो या अन्यथा, के अधीन उपचार या किसी दावे की ईत्सा या उसे अग्रसर करने के अप्रत्यक्ष रूप से स्वेच्छा से अपने सभी अधिकारों को त्याग देने का विनिश्चय करता हूँ।	ीं इस संबंध में प्ने के लिए ऐसे सी करार, चाहे
उपरोक्त वचनबंध अप्रतिसंहरणीय है।	
मैं यह भी पुष्टि करता हूँ कि मैं इस वचनबंध के सभी परिणामों से अवगत हूँ।	
	हस्ताक्षर
स्थान	
	पदनाम
तारीख	
घोषणाकर्ता का पैन	ा /आधार संख्या
टिप्पण :	
इनमें से जो लागू न हो, उसे काट दें ।	

प्ररूप –1 में घोषणा के समय कर बकाया की बाबत भी वचनबंध दिया जाए।

प्ररूप-3

[नियम 4 देखें]

प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 (2020 का 3) की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन प्रमाणपत्र का प्ररूप प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास नियम, 2020

			त्रत्यदा गर विभाव स विभवा	a 1494, Zi	020		
	-	(जिसे इसम् गोषणा फाइल वि	में इसके पश्चात् घोषणाकर्ता कह केया है ;	ा गया है) पं	पैन/आधार स	गंख्या	ने अधिनियम
और उत्त	क घोषणा अभि	हित प्राधिकारी	के कार्यालय में तारीख व	को प्राप्त हुई	है ।		
पश्चात्	निम्नलिखित र	कम अधिनियम	उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तिय के अधीन उक्त घोषणा के उ हारा संदाय किए जाने के लिए अ	मंतर्गत आने	वाला कर		
क्र.सं.	निर्धारण वर्ष/वित्तीय वर्ष	विवाद समाधान के ब्यौरें	कर-बकाया की प्रकृति (विवादित कर/विवादित आस्ति/विवादित ब्याज/विवादित फीस)	कर- बकाया (रु.)	धारा 3 के अधीन संदेय रकम	कर-बकाया के लिए स्वतः संदाय रकम	संदेय/प्रतिदेय के लिए शेष रकम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(6)-(7)
			है कि वह संदेय राशि का संदाः ′) के अनुसार करे।	य रकम, र्या	दे कोई हो,	इस प्रमाणपत्र की	प्राप्ति की तारीख
		संदेय रकम के हीं दिया गया है	असंदाय की बाबत प्ररूप-1 के ।	अधीन घोष	प्रणाको शून	य समझा जाएगा	और यह समझा
प्रमाणप	त्र सं			•			
स्थान .				अभि	महित प्राधिक	गरी का नाम, हस्त	गक्षर, और मोहर
तारीख							
			प्ररूप-4				
			[नियम 5 देखे	ij			
प्र	त्यक्ष कर विवाद	से विश्वास अधि	ब्रेनियम, 2020 (2020 का 3) र् <u>व</u>	ो धारा 5 र् व	ने उपधारा (2) के अधीन संदाय	ा की सूचना
			प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वा	स नियम, 20	020		
सेवा में,							
अभिहि	त प्राधिकारी						
महोदय	/महोदया,						
बाबत .		गोषणाकर्ता का	प्राप्त प्रमाणपत्र के अनुसरण में ! नाम) पैन/आधार संख्या/टैन				
क्र.सं.	बैंक की बी.ए	एस.आर. कोड	निक्षेप की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	चालान	का क्र.सं.	रकम	(रु.)
(1)	1	2)	(2)		(4)	/ [= -

क्र.सं.	बैंव	किकी	बी.	एस.	आर.	. को	ड				रीख वर्ष)		च	ाला	न का	क्र.	सं.	रकम (रु.)							
(1)			((2)					(3	3)			(4)				(5)								

	अपील, रिट याचिका, ि ।।हरण का सबूत अपलोड		सुलह, मध्यकता या दावा का प्रत्याहरण किया	गया है (कृपया
स्था	न :	••		
तार्र	ोख :			
		प्ररूप	-5	
		[नियम 7	7 देखें]	
प्र	त्यक्ष कर विवाद से विश्व	ास अधिनियम, 2020 (2020 का 3) व पूर्णतः और अंतिमतः परिी	की धारा 9 के साथ पठित धारा 5(3) के अधीन ब निर्धारण के लिए आदेश	हर बकाया का
		प्रत्यक्ष कर विवाद से वि	ोश्वास नियम, 2020	
		ाश नियम, 2020(घोष ाा है) ने अधिनियम की धारा 4 के अर्ध	गणाकर्ता का नाम और पैन/आधार सं./टैन) (ि ोन घोषणा किया था ;	ग ेसे इसमें इसके
आदे अव करे	श की तारीख धारणा के पश्चात् कर बः गा ;	द्वारा अभिहित प्राधिकारी के कर ब काया और संदेय/वापस किए गए रकम	ापस किए गए रूपए की रकम को अव काया का पूर्णतः और अंनिमतः परिनिर्धारण की विशिष्टियाँ उसमें उपवर्णित करते हुए एक !	के संबंध में ऐसे प्रमाणपत्र प्रदान
	ः, अब, अधिनियम की ध ग जाता है कि-	ारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उपध	प्रारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हु	ए यह प्रमाणित
		तारीख में अव र्ता द्वारा रूपए की रकम का ग	नधारित कर बकाया का पूर्णतः और अंतिमतः संदाय कर दिया गया है; और	परिनिर्धारण के
	के अभियोजन के	लिए कोई कार्यवाही संस्थित करने से	काया की बाबत आय-कर अधिनियम के अधीन या उक्त अधिनियमिति (अधिनियम की धारा 6 ष्ट उपबंधों के अध्यधीन उन्मुक्ति प्रदान की गई	3 के अनुसार) के
	निर्धारण वर्ष/वित्तीय वर्ष	निपटाये गए विवादों का ब्यौरा	कर बकाया की प्रकृति (विवादित कर/विवादित शास्ति/विवादित ब्याज/विवादित फीस)	कर बकाया की रकम
•				
	प्राधिकारी या घोषणाव नहीं होगा कि वह प्रति विवादित मुद्दे पर निर्ण	कर्ता के लिए अपील या रिट याचिका तेवाद करे कि घोषणाकर्ता या आयक य में उपमत हो।	ा करते हुए कर स्थिति के स्वीकृति नहीं करेगा व या विशेष इजाज़त याचिका में एक पक्षकार हो र प्राधिकारी, जैसी भी दशा हो, विवाद के ि	ते हुए विधिपूर्ण
	स्थान तारीख		अभिहित प्राधिकारी	
सेव	<u> </u>		-11 HOU MIN III (
	ं ' (1) घोषणाकर्ता			
	(2) निर्धारण अधिकार	री		
	(3) संबद्ध प्रधान आय			
	(4) संबद्ध अपीलीय प	जोरम		
	टिप्पण : जो लागू न हो	, उसे काट दें ।		

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th March, 2020

The Direct Tax Vivad Se Vishwas Rules, 2020

- **S.O.** 1129(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 12 read with sub-sections (1) and (5) of section 4 and sub-sections (1) and (2) of section 5 of the Direct Tax Vivad se Vishwas Act, 2020 (3 of 2020), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—
- 1. Short title and commencement.-(1) These rules may be called the Direct Tax Vivad se Vishwas Rules, 2020.
 - (2) They shall come into force on the date of their notification in the Official Gazette.
- 2. Definitions.-In these rules, unless the context otherwise requires, -
 - (a) "Act" means the Direct Tax Vivad se Vishwas Act, 2020 (3 of 2020);
 - (b) "dispute" means appeal, writ or special leave petition filed or appeal or special leave petition to be filed by the declarant or the income-tax authority before the Appellate Forum, or arbitration, conciliation or mediation initiated or given notice thereof, or objections filed or to be filed before the Dispute Resolution Panel under section 144C of the Income-tax Act, or application filed under section 264 of the Income-tax Act:
 - (c) "eligible search cases" means cases in which an assessment has been made under sub-section (3) of section 143 or section 144 or section 153A or section 153C of the Income-tax Act on the basis of search initiated under section 132 or section 132A of the Income-tax Act and the amount of disputed tax does not exceeds five crore rupees;
 - (d) "Form" means the Forms appended to these rules;
 - (e) "issues covered in favour of the declarant" means issues in respect of which
 - (i) an appeal or writ or special leave petition is filed or appeal or special leave petition is to be filed by the income-tax authority before the appellate forum or
 - (ii) an appeal is filed or to be filed before the Commissioner (Appeals) or objections is filed or to be filed before the Dispute Resolution Panel by the declarant, on which he has already got a decision in his favour from Income Tax Appellate Tribunal (where the decision on such issue is not reversed by the High Court or the Supreme Court) or the High Court (where the decision on such issue is not reversed by the Supreme Court), or
 - (iii) an appeal is filed or to be filed by the declarant before Income Tax Appellate Tribunal on which he has already got a decision in his favour from the High Court (where the decision on such issue is not reversed by the Supreme Court);
 - (f) "section" means section of the Direct Tax Vivad se Vishwas Act, 2020 (3 of 2020);
 - (g) the words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act or Income-tax Act, 1961 shall have the same meanings respectively as assigned to them in those Acts.
- **3. Form of declaration and undertaking.-**(1) The declaration under sub-section (1) of section 4 shall be made in Form-1 to the designated authority.
 - (2) The undertaking referred to in sub-section (5) of section 4 shall be furnished in Form-2 along with the declaration.
 - (3) The declaration under sub-rule (1) and the undertaking under sub-rule (2), as the case may be, shall be signed and verified by the declarant or any person competent to verify the return of income on his behalf in accordance with section 140 of the Income-tax Act, 1961.
 - (4) The designated authority on receipt of declaration shall issue a receipt electronically in acknowledgement thereof.
- **4. Form of certificate by designated authority.** The designated authority shall grant a certificate electronically referred to in sub-section (1) of section 5 in Form-3.

- **5. Intimation of payment.-** The detail of payments made pursuant to the certificate issued by the designated authority shall be furnished along with proof of withdrawal of appeal, objection, application, writ petition, special leave petition, arbitration, conciliation, mediation or claim filed by the declarant to the designated authority in Form-4.
- **6. Manner of furnishing.-** The Form-1 and Form-2 referred to in rule 3 and Form-4 referred to in rule 5 shall be furnished electronically under digital signature, if the return of income is required to be furnished under digital signature or, in other cases through electronic verification code.

Explanation. – For the purpose of this rule, "electronic verification code" shall have the same meaning as referred to in rule 12 of the Income-tax Rules, 1962.

- 7. Order by designated authority. The order by the designated authority under sub-section (2) of section 5, in respect of payment of amount payable by the declarant as per certificate granted under sub-section (1) of section 5, shall be in Form-5.
- **8.** Laying down of procedure, formats and standards.-The Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems), as the case may be, shall lay down procedures, formats and standards for furnishing and verifying the declaration in Form-1 under sub-rule (1) of rule 3, furnishing and verifying the undertaking in Form-2 under sub-rule (2) of rule 3, granting of certificate in Form-3 under rule 4, intimation of payment and proof of withdrawal in Form-4 under rule 5 and issuance of order in Form-5under rule 7 and the Principal Director General of Income-tax (Systems) or the Director General of Income-tax (Systems) shall also be responsible for evolving and implementing appropriate security, archival and retrieval policies in relation to the said declaration, undertaking, certificate, intimation and order.
- **9. Manner of computing disputed tax in cases where loss or unabsorbed depreciation is reduced.-(1)** Where the dispute in relation to an assessment year relates to reduction in loss or unabsorbed depreciation to be carried forward under the Income-tax Act, the declarant shall have an option to –
- (i) include the tax, including surcharge and cess, payable on the amount by which loss or unabsorbed depreciation is reduced in the disputed tax and carry forward the loss or unabsorbed depreciation by ignoring such amount of reduction in loss or unabsorbed depreciation; or
- (ii) carry forward the reduced amount of loss or unabsorbed depreciation.
- (2) Where the declarant exercises the option as per clause (ii) of sub-rule (1), he shall be liable to pay tax, including surcharge and cess, along with interest, if any, as a consequence of carrying forward the reduced amount of loss or unabsorbed depreciation in subsequent years:

Provided that the written down value of the block of asset on the last day of the year, in respect of which unabsorbed depreciation has been reduced, shall not be increased by the amount of reduction in unabsorbed depreciation:

Provided further that in cases other than the eligible search cases, in computing the reduced amount of loss or unabsorbed depreciation to be carried forward in clause (ii) of sub-rule (1), one-half of the amount by which loss or unabsorbed depreciation is reduced shall be considered for reduction, if such reduction is related to issues covered in favour of declarant:

Provided also that in case of eligible search cases, in computing the reduced amount of loss or unabsorbed depreciation to be carried forward in clause (ii) of sub-rule (1), one and one-fourth times of the amount by which loss or unabsorbed depreciation is reduced shall be considered for reduction and where the one and one-fourth times of the amount by which loss or unabsorbed depreciation is reduced exceeds the amount of loss to be carried forward before it's reduction, such excess shall be ignored:

Provided also that in case of eligible search cases in computing the reduced amount of loss or unabsorbed depreciation to be carried forward in clause (ii) of sub-rule (1), five-eighth of the amount by which loss or unabsorbed depreciation is reduced shall be considered for reduction, if such reduction is related to issues covered in favour of declarant.

- 10. Manner of computing disputed tax in cases where Minimum Alternate Tax (MAT) credit is reduced.-(1) Where the dispute in relation to an assessment year relates to reduction in Minimum Alternate Tax (MAT) credit to be carried forward, the declarant shall have an option to
- (i) include the amount by which MAT credit to be carried forward is reduced in disputed tax and carry forward the MAT credit by ignoring such amount of reduction, or
- (ii) carry forward the reduced MAT credit.

(2) Where the declarant exercises the option as per clause (ii) of sub-rule (1), he shall be liable to pay tax, including surcharge and cess, along with interest, if any, as a consequence of carrying forward reduced MAT credit in subsequent years:

Provided that in cases other than the eligible search cases, in computing the reduced amount of MAT credit to be carried forward in clause (ii) of sub-rule (1), one-half of the amount by which MAT credit is reduced shall be considered for reduction, if such reduction is related to issues covered in favour of declarant:

Provided further that in case of eligible search cases, in computing the reduced amount of MAT credit to be carried forward in clause (ii) of sub-rule (1), one and one-fourth times of the amount by which MAT credit is reduced shall be considered for reduction and where the one and one-fourth times the amount by which MAT credit is reduced exceeds the amount of MAT credit to be carried forward before it's reduction, such excess shall be ignored:

Provided also that in case of eligible search cases in computing the reduced amount of MAT credit to be carried forward in clause (ii) of sub-rule (1), five-eighth of the amount by which MAT credit is reduced shall be considered for reduction, if such reduction is related to issues covered in favour of declarant.

Explanation – For the purpose of this rule MAT credit means tax credit as per the provisions of section 115JAA or 115JD of the Income-tax Act.

11. Manner of computing disputed tax in certain cases – (1) Where the dispute includes issues covered in favour of declarant, the disputed tax in respect of such issues shall be the amount, which bears to tax, including surcharge and cess, payable on all the issues in dispute, the same proportion as the disputed income in relation to issues covered in favour of declarant bear to the disputed income in relation to all the issues in dispute.

										FORM															
								Eor		see rule filing o	,	.tion													
DADTA	CENED	AT T	NEO	DMA	TION	J		roi	111 101	ming c	ieciai	ttion													
PART A -	GENER	AL I	NFU	RMA	HON	· 	27. 0	m				П		Г			35.10	_						7	
PAN / Aadhaar No.							Name of appellant	TAN									Mobile No.								
Email Add	lress									•				•											
INFORM	ATION F	RELA	TIN	G TO	ELIC	GIBIL	TY																		
	ether the						rms of section	2 of the	Direc	t Tax V	ivad s	e Vish	was	Act,	2020	(DTV	VSV) and i	s not	inel	igibl	e to		Ye	es	No
Option exc	ercised by	у Арј	pellar	nt																					
							es or deprecia		IAT c	redit															
							ll up schedule	D																	
PART B -	INFOR	MAT	ION	RELA	ATING	G TO	DISPUTE																		
Nature of	tax arrea	r					Disputed to Disputed Interest/ Disputed P Disputed F	enalty/	(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10] (11] (12)	Appe DRP When If No expir If yes - Ass Date Refer When If yes on or	/ Rev //Arbi her Ap //Bitate I //CIT/I ther al o, date res in a o, filed iessee on fili rence : befor befor ot elipt ther ra o, date	sion peal // p	//Coobje obje oncil - C TA filed ich t asse Tick rrect 202 der app	ncilistic cetion liation IT(AT / H d? — time-essee k the ent / lions 0? pass	n/revi n/Me c / S Yes/N llimit relev Both	/Medision/Vision	iation— Writ / on? iiling ption)	filing Base natur	util d o re o n a	ity) on t f dis and wil	he spute apj	com ed ta	ovide binat ix, a nt led	ion ppel	of llate vant
Details of determine (1) (2)		nent und could	Year er wl l be	· / Fina hich o multij	ancial rder p ple se	passed	(Drop dow provided in utility)		SLI disp app inte	declarat P, arbit puted peal,is the erest or puted ta	ration tax i here p pena	, conci ncludi ending ty imp	liati ng g ap	ion o disp peal,	r me uted writ	diation TD or S	on for S/TCS LP for		or S	LP.(detai		such be c		

(3)	Income-tax authority / Appellate Forum who passed the order (there could be multiple orders for same assessment year)									
(4)	Date on which order passed (there could be multiple dates for same assessment year)									
(5)	Whether search case with disputed tax less than Rs. 5 crores in the assessment year? (information flag relevant for rate at which amount payable is to be computed)									
PART C -	INFORMATION RELATED TO TA	X ARREARS								
(i) Tax	arrears (as per schedule)									
PART D -	INFORMATION RELATED TO AM	IOUNT PAYABLE								
(ii) Tota	al amount payable under DTVSV if p	aid on or before 31.3.	2020		schedule	e (in cas and deptt	om relevant e of both appeal, add			
(ii) Tota	al amount payable under DTVSV if p	aid after 31.03.2020			schedule	e (in cas and deptt	om relevant e of both appeal, add			
PART E -	INFORMATION RELATED TO PA	YMENTS AGAINST	TAX ARREAR							
(i)	Whether the declarant has made an	y payment against ta	x arrears before filing of declara	ntion?		Yes	No			
(ii)	If yes, please fill following details									
S. No.	Date of payment	Amount		BSR Code						
1.										
(iii)	Total payments against tax arrears									
Part F	Net amount payable/refundable by	the appellant: Part D	(i) or D (ii), as the case may be	, less Part E (iii)						
			VERIFICATION							
I										
	clare that I am making this declaration is method in holding permanent account number /			and that I am com	petent to n	nake this de	claration and			
Place										

A Schedules applicable where declaration relates to disputed tax (Applicable in case of PAN)

Combination: Disputed tax + CIT(A) + Assessee

Schedule I. To be filled in case appeal of assessee is pending before CIT(A) as on 31.01.2020 or the time for filing appeal by the assessee before CIT(A) has not expired as on 31.01.2020

A	Total in	come as per order against which appeal filed OR to be filed	A	
	Dispute	d income out of A		
В	(i)	relating to issues, which have been decided in favour of assessee in his case for any assessment year by ITAT (and such order has not been subsequently reversed by the High Court) or High Court (and such order has not been subsequently reversed by the Supreme Court)	B(i)	
	(ii)	relating to issues other than B(i)	B(ii)	
C	Dispute	d tax in relation to disputed income at B(i)	C	
D	Dispute	d tax in relation to disputed income at B(ii)	D	
E	Tax effe	ect of enhancement, if any, by CIT(A)	Е	
F	Total di	sputed tax (C+D+E)	F	
G	Interest	charged on disputed tax	G	
Н	Penalty	leviedon disputed tax	Н	
I	Tax arre	ears (F+G+H)	I	
X	Amount	payable under DTVSV on or before 31.03.2020		
		earch case $0.5*C + D + E$	X	
	If search	n case 0.625*C +1.25*D + 1.25*E		
Y		payable under DTVSV after 31.03.2020		
		earch case 0.55*C + 1.1*D + 1.1*E	Y	
	If search	n case 0.675*C +1.35*D + 1.35*E		

Combination: Disputed tax + DRP draft order + Assessee

Schedule II. To be filled in case assessee has filed objections with DRP against draft assessment order and DRP has not issued any directions as on 31.01.2020 or the time-limit to file objections against draft order passed by AO has not expired as on 31.01.2020

A	Total in	ncome as per draft order against which objections filed OR to be filed	A				
	Dispute	ed income out of A -					
В	(i)	relating to issues, which have been decided in favour of assessee in his case for any assessment year by ITAT (and such order has not been subsequently reversed by the High Court) or High Court (and such order has not been subsequently reversed by the Supreme Court)	B(i)				
	(ii)	relating to issues other than B(i)	B(ii)				
C	Dispute	ed tax in relation to disputed income at B(i)	С				
D	Dispute	ed tax in relation to disputed income at B(ii)	D				
E	Total di	Total disputed tax (C+D)					
F	Interest	charged on disputed tax	F				
G	Penalty	levied on disputed tax	G				
Н	Tax arr	ears (E+F+G)	Н				
X	If non-s	Amount payable under DTVSV on or before 31.03.2020 If non-search case 0.5*C + D If search case 0.625*C +1.25*D					
Y	If non-s	t payable under DTVSV after 31.03.2020 search case 0.55*C + 1.1*D h case 0.675*C +1.35*D	Y				

Combination: Disputed tax + DRP direction + Assessee

Schedule III. To be filled in case DRP has issued directions u/s 144C of the Act in response to objections filed by the assessee and Assessing Officer has not passed the order as per such directions issued by DRP as on 31.01.2020

A	Total in	come as per directions of DRP	A				
	Dispute	d income out of A					
В	(i)	relating to issues, which have been decided in favour of assessee in his case for any assessment year by ITAT (and such order has not been subsequently reversed by the High Court) or High Court (and such order has not been subsequently reversed by the Supreme Court)	B(i)				
	(ii)	relating to issues other than B(i)	B(ii)				
C	Dispute	d tax in relation to disputed income at B(i)	C				
D	Dispute	d tax in relation to disputed income at B(ii)	D				
E	Total di	Total disputed tax (C+D)					
F	Interest	charged on disputed tax	F				
G	Penalty	levied on disputed tax	G				
Н	Tax arre	ears (E+F+G)	Н				
X	If non-s	Amount payable under DTVSV on or before 31.03.2020 If non-search case 0.5*C + D If search case 0.625*C +1.25*D					
Y	If non-s	t payable under DTVSV after 31.03.2020 search case 0.55*C + 1.1*D h case 0.675*C +1.35*D	Y				

Combination: Disputed tax + ITAT + Assessee

Schedule IV. To be filled in case appeal of assessee is pending before ITAT as on 31.01.2020 or the time for filing appeal by the assessee before ITAT has not expired as on 31.01.2020

A	Total in	come as per order against which appeal filed OR to be filed	A	
	Dispute			
В	(i)	relating to issues, which have been decided in favour of assessee in his case for any assessment year by High Court (and such order has not been subsequently reversed by the Supreme Court)	B(i)	
	(ii)	relating to issues other than B(i)	B(ii)	
C	Dispute	d tax in relation to disputed income at B(i)	C	
D	Dispute	d tax in relation to disputed income at B(ii)	D	
E	Total di	sputed tax (C+D)	E	
F	Interest	charged on disputed tax	F	

G	Penalty leviedon disputed tax	G	
Н	Tax arrears (E+F+G)	Н	
X	Amount payable under DTVSV on or before 31.03.2020 If non-search case 0.5*C + D If search case 0.625*C +1.25*D	X	
Y	Amount payable under DTVSV after 31.03.2020 If non-search case 0.55*C + 1.1*D If search case 0.675*C +1.35*D	Y	

Combination: Disputed tax + ITAT + Department

Schedule V. To be filled in case appeal of Department is pending before ITAT as on 31.01.2020 or the time to file appeal by the department in ITAT has not expired on 31.01.2020.

A	Total income as per order against which appeal filed OR to be filed	A	
В	Disputed income out of A	В	
С	Disputed tax in relation to disputed income at B	С	
D	Interest charged on disputed tax	D	
E	Penalty levied on disputed tax	Е	
F	Tax arrears (C+D+E)	F	
X	Amount payable under DTVSV on or before 31.03.2020 If non-search case 0.5*C If search case 0.625*C	X	
Y	Amount payable under DTVSV after 31.03.2020 If non-search case 0.55*C If search case 0.675*C	Y	

Combination: Disputed tax + HC + Assessee

Schedule VI. To be filled in case appeal or writ of assessee is pending before High Court as on 31.01.2020 or the time for filing appeal by the assessee before High Court has not expired as on 31.01.2020

A	Total income as per order against which appeal / writ filed OR appeal to be filed	A	
В	Disputed income out of A	В	
C	Disputed tax in relation to disputed income at B	C	
D	Interest charged on disputed tax	D	
E	Penalty levied on disputed tax	E	
F	Tax arrears (C+D+E)	F	
X	Amount payable under DTVSV on or before 31.03.2020	X	
	If non-search case C		
	If search case 1.25*C		
Y	Amount payable under DTVSV after 31.03.2020	Y	
	If non-search case 1.1*C		
	If search case 1.35*C		

Combination: Disputed tax + HC + Department

Schedule VII. To be filled in case appeal or writ of Department is pending before High Court as on 31.01.2020 or the time to file appeal by the department in HC has not expired on 31.01.2020.

A	Total income as per order against which appeal/ writ filed OR appeal to be filed	A	
В	Disputed income out of A	В	
C	Disputed tax in relation to disputed income at B	С	
D	Interest charged on disputed tax	D	
E	Penalty levied on disputed tax	Е	
F	Tax arrears (C+D+E)	F	
X	Amount payable under DTVSV on or before 31.03.2020	X	
	If non-search case 0.5*C		
	If search case 0.625*C		
Y	Amount payable under DTVSV after 31.03.2020	Y	
	If non-search case 0.55*C		
	If search case 0.675*C		

Combination: Disputed tax + SC + Assessee

Schedule VIII. To be filled in case appeal or writ or SLP of assessee is pending before Supreme Court as on 31.01.2020 or the time for filing appeal or SLP by the assessee before Supreme Court has not expired as on 31.01.2020

A	Total income as per order against which appeal / writ / SLP filed OR appeal / SLP to be filed	A	
В	Disputed income out of A	В	
C	Disputed tax in relation to disputed income at B	С	

D	Interest charged on disputed tax	D	
E	Penalty levied on disputed tax	E	
F	Tax arrears (C+D+E)	F	
X	Amount payable under DTVSV on or before 31.03.2020	X	
	If non-search case C		
	If search case 1.25*C		
Y	Amount payable under DTVSV after 31.03.2020	Y	
	If non-search case 1.1*C		
	If search case 1.35*C		

Combination: Disputed tax + SC + Department

Schedule IX. To be filled in case appeal or writ or SLP of Department is pending before Supreme Court as on 31.01.2020 or the time to file appeal or SLP by the department in SC has not expired on 31.01.2020.

A	Total income as per order against which appeal / writ / SLP filed OR appeal /SLP to be filed	A	
В	Disputed income out of A	В	
C	Disputed tax in relation to disputed income at B	C	
D	Interest charged on disputed tax	D	
E	Penalty levied on disputed tax	Е	
F	Tax arrears (C+D+E)	F	
X	Amount payable under DTVSV on or before 31.03.2020 If non-search case 0.5*C If search case 0.625*C	X	
Y	Amount payable under DTVSV after 31.03.2020 If non-search case 0.55*C If search case 0.675*C	Y	

Combination: Disputed tax + 264 + Assessee

Schedule X. To be filled in caserevision application of assessee u/s 264 is pending before PCIT/CIT as on 31.01.2020

A	Total income as per order against which revision application filed	A	
В	Disputed income out of A	В	
C	Disputed tax in relation to disputed income at B	C	
D	Interest charged on disputed tax	D	
E	Penalty levied on disputed tax	E	
F	Tax arrears (C+D+E)	F	
X	Amount payable under DTVSV on or before 31.03.2020 If non-search case C If search case 1.25*C	X	
Y	Amount payable under DTVSV after 31.03.2020 If non-search case 1.1*C If search case 1.35*C	Y	

Combination: Disputed tax + Arbitration/Conciliation/Mediation + Assessee

Schedule XI. To be filled in case arbitration or conciliation or mediation of assessee is pending as on 31.01.2020

A	Total income as per order against which arbitration / conciliation / mediation has been filed	A	
В	Disputed income out of A	В	
C	Disputed tax in relation to disputed income at B	С	
D	Interest charged on disputed tax	D	
E	Penalty levied on disputed tax	Е	
F	Tax arrears (C+D+E)	F	
X	Amount payable under DTVSV on or before 31.03.2020 If non-search case C If search case 1.25*C	X	
Y	Amount payable under DTVSV after 31.03.2020 If non-search case 1.1*C If search case 1.35*C	Y	

B. Schedules applicable where declaration relates to disputed TDS/TCS (Applicable for TAN):

Combination: DisputedTDS / TCS + CIT(A) + Deductor/Collector

Schedule I. To be filled in case appeal of assessee is pending before CIT(A) as on 31.01.2020 or the time for filing appeal by the assessee before CIT(A) has not expired as on 31.01.2020

	Appeal r	eference number		
	Amount	of TDS / TCS disputed in appeal OR in appeal to be filed	A	A(i)+A(ii)
A	(i)	relating to issues, which have been decided in favour of assessee in his case foranyfinancial year by ITAT (and such order has not been subsequently reversed by the High Court) or High Court (and such order has not been subsequently reversed by the Supreme Court)	A(i)	
	(ii)	relating to issues other than A(i)	A(ii)	
В	Tax effe	ect of enhancement, if any, by CIT(A)	В	
C	Interest	charged on disputed TDS / TCS	С	
D	Penalty	levied on disputed TDS / TCS	D	
E	TDS /TC	C Sarrears (A+B+C+D)	Е	
X		payable under DTVSV on or before 31.03.2020	37	
	If non-search case $0.5*A(i) + A(ii) + B$ If search case $0.625*A(i) + 1.25*A(ii) + 1.25*B$		X	
Y	Amount	payable under DTVSV after 31.03.2020		
		earch case 0.55*A(i) + 1.1*A(ii) + 1.1*B n case 0.675*A(i) +1.35*A(ii) + 1.35*B	Y	

Combination: Disputed TDS/TCS + ITAT + Deductor/Collector

Schedule II. To be filled in case appeal of assessee is pending before ITAT as on 31.01.2020 or the time for filing appeal by the assessee before ITAT has not expired as on 31.01.2020

	Amount	of TDS / TCS disputed in appeal OR in appeal to be filed	A	A(i)+A(ii)
A	(i)	relating to issues, which have been decided in favour of assessee in his case for any assessment financial year by High Court (and such order has not been subsequently reversed by the Supreme Court)	A(i)	
	(ii)	relating to issues other than A(i)	A(ii)	
В	Interest	charged on disputed TDS / TCS	В	
С	Penalty	levied on disputed TDS / TCS	C	
D	TDS / T	CS arrears (A+B+C)	D	
X	If non-s	Amount payable under DTVSV on or before 31.03.2020 If non-search case 0.5*A(i) + A(ii) If search case 0.625*A(i) +1.25*A(ii)		
Y	If non-s	Amount payable under DTVSV after 31.03.2020 If non-search case 0.55*A(i) + 1.1*A(ii) If search case 0.675*A(i) +1.35*A(ii)		

Combination: Disputed TDS/TCS + ITAT + Department

Schedule III. To be filled in case appeal of Department is pending before ITAT as on 31.01.2020 or the time to file appeal by the department in ITAT has not expired on 31.01.2020.

	Amount of TDS / TCS disputed in appeal OR in appeal to be filed		
A	TDS/TCS default for which appeal is filed OR to be filed	A	
В	Interest charged on disputed TDS / TCS	В	
C	Penalty levied on disputed TDS / TCS	С	
D	TDS / TCS arrears (A+B+C)	D	
X	Amount payable under DTVSV on or before 31.03.2020 If non-search case 0.5*A If search case 0.625*A	X	
Y	Amount payable under DTVSV after 31.03.2020 If non-search case 0.55*A If search case 0.675*A	Y	

Combination: Disputed TDS/TCS + HC + Deductor/Collector

Schedule IV. To be filled in case appeal or writ of assessee is pending beforeHigh Courtas on 31.01.2020 or the time for filing appeal by the assessee before High Court has not expired as on 31.01.2020

	Amount of TDS / TCS disputed in appeal OR in appeal to be filed				
A	TDS/TCS default for which writ or appeal is filed OR appeal to be filed	A			
В	Interest charged on disputed TDS / TCS	В			
C	Penalty levied on disputed TDS / TCS	С			
D	TDS / TCS arrears (A+B+C)	D			
X	Amount payable under DTVSV on or before 31.03.2020				
	If non-search case A	X			
	If search case 1.25*A				
Y	Amount payable under DTVSV after 31.03.2020				
	If non-search case 1.1*A	Y			
	If search case 1.35*A				

Combination: Disputed TDS/TCS + HC + Department

Schedule V. To be filled in case appeal or writ of Department is pending before High Court as on 31.01.2020 or the time to file appeal by the department in HC has not expired on 31.01.2020.

	Amount of TDS / TCS disputed in appeal OR in appeal to be filed			
A	TDS/TCS default for which writ or appeal is filed OR appeal to be filed	A		
В	Interest charged on disputed TDS / TCS	В		
C	Penalty levied on disputed TDS / TCS	С		
D	TDS / TCS arrears (A+B+C)	D		
X	Amount payable under DTVSV on or before 31.03.2020 If non-search case 0.5*A If search case 0.625*A	X		
Y	Amount payable under DTVSV after 31.03.2020 If non-search case 0.55*A If search case 0.675*A	Y		

Combination: Disputed TDS/TCS + SC + Deductor/Collector

Schedule VI. To be filled in case appeal or writ or SLP of assessee is pending before Supreme Court as on 31.01.2020 or the time for filing appeal or SLP by the assessee before Supreme Court has not expired as on 31.01.2020

	Amount of TDS / TCS disputed in appeal OR in appeal to be filed			
A	TDS/TCS default for which writ or appeal or SLP is filed OR appeal / SLP to be filed	A		
В	Interest charged on disputed TDS / TCS	В		
C	Penalty levied on disputed TDS / TCS	C		
D	TDS / TCS arrears (A+B+C)	D		
X	Amount payable under DTVSV on or before 31.03.2020 If non-search case A If search case 1.25*A	X		
Y	Amount payable under DTVSV after 31.03.2020 If non-search case 1.1*A If search case 1.35*A	Y		

Combination: Disputed TDS/TCS + SC + Department

Schedule VII. To be filled in case appeal or writ or SLP of Department is pending before Supreme Court as on 31.01.2020 or the time to file appeal or SLP by the department in SC has not expired on 31.01.2020.

	Amount of TDS / TCS disputed in appeal or in appeal to be filed				
A	TDS/TCS default for which writ or appeal or SLP is filed or appeal / SLP to be filed	A			
В	Interest charged on disputed TDS / TCS	В			
C	Penalty levied on disputed TDS / TCS	C			
D	TDS / TCS arrears (A+B+C)	D			
X	Amount payable under DTVSV on or before 31.03.2020 If non-search case 0.5*A If search case 0.625*A	X			
Y	Amount payable under DTVSV after 31.03.2020 If non-search case 0.55*A If search case 0.675*A	Y			

Combination: Disputed TDS/TCS + 264 + Deductor/Collector

Schedule VIII. To be filled in caserevision application of assessee u/s 264 is pending before PCIT/CIT as on 31.01.2020

	Amount of TDS / TCS disputed in appeal OR in appeal to be filed			
A	TDS/TCS default for which revision application filed	A		
В	Interest charged on disputed TDS / TCS	В		
С	Penalty levied on disputed TDS / TCS	С		
D	TDS / TCS arrears (A+B+C)	D		
X	Amount payable under DTVSV on or before 31.03.2020 If non-search case A If search case 1.25*A	X		
Y	Amount payable under DTVSV after 31.03.2020 If non-search case 1.1*A If search case 1.35*A	Y		

Combination: Disputed TDS/TCS + Arbitration/Conciliation/Mediation + Assessee

Schedule IX. To be filled in case arbitration or conciliation or mediation of assessee is pending as on 31.01.2020

	Amount of TDS / TCS disputed in appeal OR in appeal to be filed				
A	TDS/TCS default for which arbitration or conciliation or mediation has been filed	A			
В	Interest charged on disputed TDS / TCS	В			
C	Penalty levied on disputed TDS / TCS	С			
D	TDS / TCS arrears (A+B+C)	D			
X	Amount payable under DTVSV on or before 31.03.2020 If non-search case A If search case 1.25*A	X			
Y	Amount payable under DTVSV after 31.03.2020 If non-search case 1.1*A If search case 1.35*A	Y			

C. Schedule applicable where declaration relates to disputed penalty, interest or fee only (Applicable for PAN & TAN)

Combination: Disputed penalty/interest/fee + CIT(A) + Assessee

Schedule I. To be filled in case appeal of assessee is pending before CIT(A) as on 31.01.2020 or the time for filing appeal before CIT(A) has not expired as on 31.01.2020

A	Total ar	nount of penalty / interest / fees per order against which appeal filed OR to be filed	A	
	Dispute	d amount of penalty / interest / fee out of A	В	B(i)+B (ii)
В	(i)	relating to issues, which have been decided in favour of assessee in his case for any assessment year by ITAT (and such order has not been subsequently reversed by the High Court) or High Court (and such order has not been subsequently reversed by the Supreme Court)	B(i)	
	(ii)	relating to issues other than B(i)	B(ii)	
C	Penalty	or interest or fee proposed to be enhanced by CIT(A)	С	
D	Tax arre	ears (B(i)+B(ii)+C)	D	
X	Amoun	t payable under DTVSV on or before $31.03.2020 = 0.125*B(i) + 0.25B(ii) + 0.25*C$	X	
Y	Amoun	t payable under DTVSV after $31.03.2020 = 0.15*B(i) + 0.3*B(ii) + 0.3*C$	Y	

$Combination: Disputed\ penalty/interest/fee + ITAT + Assessee$

Schedule II. To be filled in case appeal of assessee is pending beforeITATas on 31.01.2020 or the time for filing appeal by the assessee before ITAT has not expired as on 31.01.2020

A	Total ar	nount of penalty / interest / feeas per order against which appeal has been filed OR to be filed	A	
	Dispute	d penalty / interest / fee due to appeal by assessee -	В	B(i)+B(ii)
В	(i)	relating to issues, which have been decided in favour of assessee in his case for any assessment year by High Court (and such order has not been subsequently reversed by the Supreme Court)	B(i)	
	(ii)	relating to issues other than B(i)	B(ii)	
C	Tax arre	aars (B(i) + B(ii))	С	
X	Amount	payable under DTVSV on or before $31.03.2020 = 0.125*B(i) + 0.25*B(ii)$	X	
Y	Amount	payable under DTVSV after $31.03.2020 = 0.15*B(i) + 0.3*B(ii)$	Y	

Combination: Disputed penalty/interest/fee + ITAT + Department

Schedule III. To be filled in case appeal of Department is pending before ITAT as on 31.01.2020 or the time for filing appeal by the department before ITAT has not expired as on 31.01.2020

A	Total amount of penalty/interest/fee as per order against which appeal filed OR to be filed	A	
В	Disputed penalty / interest / fee relating to issues on which appeal has been filed or to be filed	В	
C	Tax arrears (B)	С	
X	Amount payable under DTVSV on or before 31.03.2020 = 0.125*B	X	
Y	Amount payable under DTVSV after 31.03.2020 = 0.15*B	Y	

Combination: Disputed penalty/interest/fee + HC + Assessee

Schedule IV. To be filled in case appeal or writ of assessee is pending before High Court as on 31.01.2020 or time for filing appeal by the assessee before High Court has not expired as on 31.01.2020

A	Total amount of penalty / interest / feeas per order against which appeal or writ has been filedORappeal to be filed	A	
В	Disputed penalty / interest / fee due to appeal by assessee	В	
C	Tax arrears (B)	C	
X	Amount payable under DTVSV on or before 31.03.2020 = 0.25*B	X	
Y	Amount payable under DTVSV after 31.03.2020 = 0.3*B	Y	

Combination: Disputed penalty/interest/fee + HC + Department

Schedule V. To be filled in case appeal or writ of Department is pending before High Court as on 31.01.2020 or the time for filing appeal by the department before High Court has not expired as on 31.01.2020

A	Total amount of penalty / interest / feeas per order against which appeal or writ has been filed or appeal to be filed	Α	
В	Disputed penalty / interest / fee on issues raised in appeal	В	
C	Tax arrears (B)	С	
X	Amount payable under DTVSV on or before 31.03.2020 = 0.125*B	X	
Y	Amount payable under DTVSV after 31.03.2020 = 0.15*B	Y	

Combination: Disputed penalty/interest/fee + SC + Assessee

Schedule VI. To be filled in case appeal or writ or SLP of assessee is pending before Supreme Court as on 31.01.2020 or the time for filing appeal or SLP by the assessee before Supreme Court has not expired as on 31.01.2020

A	Total amount of penalty / interest / feeas per order against which appeal or writ or SLP has been filed OR appeal / SLP to be filed	A	
В	Disputed penalty / interest / fee due to appeal by assessee	В	
C	Tax arrears (B)	C	
X	Amount payable under DTVSV on or before 31.03.2020 = 0.25*B	X	
Y	Amount payable under DTVSV after 31.03.2020 = 0.3*B	Y	

Combination: Disputed penalty/interest/fee + SC + Department

 $Schedule\ VII.\ To\ be\ filled\ in\ case\ appeal\ or\ writ\ or\ SLP\ of\ Department\ is\ pending\ before\ Supreme\ Court\ as\ on\ 31.01.2020\ or\ time\ for\ filling\ appeal\ or\ SLP\ by\ the\ department\ before\ Supreme\ Court\ has\ not\ expired\ as\ on\ 31.01.2020$

A	Total amount of penalty / interest / feeas per order against which appeal or writ or SLP has been filed ORappeal / SLP to be filed	A	
В	Disputed penalty / interest / fee on issues raised in appeal	В	
C	Tax arrears (B)	C	
X	Amount payable under DTVSV on or before 31.03.2020 = 0.125*B	X	
Y	Amount payable under DTVSV after 31.03.2020 = 0.15*B	Y	

Combination: Disputed penalty/interest/fee + 264 + Assessee

Schedule VIII. To be filled in case revision application of assessee u/s 264 is pending before PCIT/CIT as on 31.01.2020

	Amount of TDS / TCS disputed in appeal or in appeal to be filed					
A	Total amount of penalty / interest / feeas per order against which revision application filed	A				
В	Disputed penalty / interest / fee on issues raised in revision application	В				
D	Tax arrears (B)	D				
X	Amount payable under DTVSV on or before 31.03.2020 (0.25*B)	X				
Y	Amount payable under DTVSV after 31.03.2020 (0.3*B)	Y				

Combination: Disputed penalty/interest/fee+ Arbitration/Conciliation/Mediation + Assessee

Schedule IX.To be filled in case arbitration or conciliation or mediation of assessee is pending as on 31.01.2020

	Amount of TDS / TCS disputed in appeal or in appeal to be filed					
A	Total amount of penalty / interest / feeas per order against which arbitration or conciliation or mediation has been filed	A				
В	Disputed penalty / interest / fee on issues raised in arbitration (B)	В				
X	Amount payable under DTVSV on or before 31.03.2020 If non-search case A If search case 1.25*A	X				
Y	Amount payable under DTVSV after 31.03.2020 If non-search case 1.1*A If search case 1.35*A	Y				

Schedule D: In case the appellant opts not to pay tax on additions having effect of reducing loss/depreciation or MAT credit carried forward then the relevant column of the following schedule is to be filled up.

Unabsorbed loss/depreciation/MAT credit	Unabsorbed loss	Unabsorbed depreciation	MAT Credit	
Brought forward as claimed by assessee (A)				
Carried forward as claimed by assessee (B)				
Disputed income* (C)				
Brought forward as per order of income-tax authorities (D)				
Carried forward as per order of income-tax authorities (E)				

^{*} see instructions

Form-2

[See rule 3(2)]

UNDERTAKING UNDER SUB-SECTION (5) OF SECTION 4 OF THE DIRECT TAX VIVAD SE VISHWAS ACT, 2020 (3 of 2020)

THE DIRECT TAX VIVAD SE VISHWAS RULES, 2020

To,
The Designated Authority
Sir/Madam,
*I,
*I,
The above undertaking is irrevocable.
I also confirm that I am aware of all the consequences of this undertaking.
Place:
Signature/Verification
Date:
Note:
*Strike off whichever is not applicable.
The undertaking is to be furnished in respect of tax arrear along with the declaration in Form-1.
Form-3
[See rule 4]
$\frac{\text{FORM FOR CERTIFICATE UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 5 OF THE DIRECT TAX VIVAD SE}{\text{VISHWAS ACT, 2020 (3 of 2020)}}$
THE DIRECT TAX VIVAD SE VISHWAS RULES, 2020
Whereas Mr./Mrs./M/s

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Act and after consideration of relevant material, the following amounts are hereby determined to be payable by the declarant towards full and final settlement of the tax arrear covered by the said declaration under the Act:

SI. No.	Assessment year/ Financial year	Details of dispute settled	Nature of tax arrear (disputed tax/ disputed penalty/ disputed interest/ disputed fee)	Tax arrear (Rs.)	Amount payable under section 3 (Rs.)	Amount already paid against tax arrear	Balance amount payable/ refundable after adjusting amount already paid
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (6) - (7)

The declarant is hereby directed to make the payment of sum payable, if any, as per column (7) above within thirty days from the date of receipt of this certificate. In case of non-payment of amount payable within the said period, the declaration under Form-1 shall be treated as void and shall be deemed never to have been made. Certificate No. Place Date (Designated Authority) Form-4 [See rule 5] INTIMATION OF PAYMENT UNDER SUB-SECTION (2) OF SECTION 50F THE DIRECT TAX VIVAD SE VISHWAS ACT, 2020 (3 of 2020) THE DIRECT TAX VIVAD SE VISHWAS RULES, 2020 To, The Designated Authority Sir/Madam, 1. Pursuant to the certificate received from designated authority in Form-3vide certificate dated respect (Name of the PAN/Aadhaar number/TAN declarant) for A.Y./ F.Y. the detail of payments made is as under: Serial Number of Sl. Date of Deposit (DD/MM/YYYY) **BSR Code of Bank** Amount (Rs) Challan **(1) (2)** (3) **(4) (5)**

2. The appeal, objections, application, writ petition, special leave petition, arbitration, conciliation, mediation or claim has been withdrawn (please upload proof of withdrawal with number and forum thereof).
Place:
Date:

Form-5

[See rule 7]

ORDER FOR FULL AND FINAL SETTLEMENT OF TAX ARREAR UNDER SECTION 5 (2) READ WITH SECTION 60F THE DIRECT TAXVIVAD SE VISHWAS ACT, 2020 (3 of 2020)

THE DIRECT TAX VIVAD SE VISHWAS RULES, 2020

			as declarant) had made a d				N of the	
And of	whereas th	ne designated auti	hority by Certificate No yable by / refundable to th forth therein the particular full and final settlement of	e declarant in	datedn accordance v	determined with the provision	ns of the Ac	
	therefore, eby certific		e powers conferred by sub-	-section (2) o	f section 5 rea	d with section 6	of the Act, i	
(a)		sum of Rs has been paid by the declarant towards full and final settlement of tax arreatetermined in the order No						
(b)	the immunity is granted subject to the provisions contained in the Act, from instituting any proceeding for prosecution for any offence under the Income-tax Act or from the imposition of penalty under the said enactment[as per section 6 of the Act], in respect of the tax arrear as detailed in the table below:							
	Assessment year/ Financial year		Details of dispute settle	Nature of tax arrear(disputed tax / disputed penalty / dispu interest / disputed fee		16		
shall leave	not be law petition to	oful for the incor	g a declaration under this A ne-tax authority or the dec e declarant or the income- settling the dispute.	larant being	a party in app	eal or writ petition	on or specia	
Place								
				(Design	nated Authority	y)		
Го	(1)	The declarant						
	(2)							
	(3)	Concerned Principal Commissioner of Income-tax						
	(4)	Concerned App	•					
Note	: Strike-of	f whatever is not	applicable.					

[Notification No.18/2020, F. No. IT(A)/1/2020-TPL] ANKUR GOYAL, Under Secy.